



AHC:2026:15444-DB

प्रतिवेद्य

सुरक्षित : 24.09.2025

पारित : 21.01.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी संख्या-14386 वर्ष 2019

मैसर्स शरद इंटरप्राइजेज ... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ... प्रतिपक्षिगण

याचिकाकर्ता के लिए: आदर्श भूषण, श्री अशोक खरे (वरिष्ठ अधिवक्ता)

प्रतिपक्षी(ओं) के लिए: मुख्य स्थाई अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री सरल श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताभ कुमार राय

(माननीय न्यायमूर्ति श्री सरल श्रीवास्तव द्वारा उद्घोषित)

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और श्री राजेश्वर त्रिपाठी, राज्य-प्रतिपक्षियों के लिए मुख्य स्थायी अधिवक्ता-II को सुना।
2. प्रस्तुत रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने मुख्यतः निम्नलिखित राहतों की प्रार्थना की है :-

(i) प्रमाण-पत्रीकरण (सर्टिफिकेट) की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या-3 द्वारा पारित दिनांक 29.12.2018 के विवादित आदेश को, केवल ₹8,51,68,215/- की सुरक्षा राशि के समपहरण से संबंधित सीमा तक, निरस्त किया जाए; तथा जिलाधिकारी, जालौन द्वारा जारी विवादित वसूली प्रमाण-पत्र दिनांक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14.01.2019, तहसीलदार, झाँसी द्वारा जारी विवादित वसूली उद्धरण दिनांक 23.01.2019 तथा प्रतिवादी संख्या-2 द्वारा पारित विवादित पुनरीक्षण आदेश दिनांक 12.03.2019 को भी निरस्त किया जाए।

(ii) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाए कि वे ₹8,51,68,215/- की सुरक्षा जमा राशि का समायोजन अवैतनिक त्रैमासिक पट्टा राशि/किस्तों के विरुद्ध करें।

(iii) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाए कि विवादित वसूली प्रमाण-पत्र एवं वसूली उद्धरण के अनुपालन में याचिकाकर्ता से बलपूर्वक वसूल की गई ₹2,00,00,000/- की राशि, उस पर 18% वार्षिक ब्याज सहित, वापस की जाए।

3. संक्षेप में तथ्य यह है कि सरकारी नीति-2017 के अनुसार, ई-निविदा/ई-नीलामी द्वारा अध्याय-IV के तहत पट्टों के निपटान के लिए दिनांक 14.08.2017 को एक सरकारी आदेश जारी किया गया था। खनन पट्टे दिनांक 14.08.2017 के सरकारी आदेश के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिए जाने थे। जिला मजिस्ट्रेट, जालौन ने कई खनन ब्लॉकों के लिए उत्तर प्रदेश लघु खनिज (रियायत) नियमावली, 1963 (इसके बाद 'नियमावली, 1963' के रूप में संदर्भित) के तहत रेत और मोरंग के खनन पट्टों के निपटान के लिए दिनांक 16.11.2017 को एक ई-निविदा नोटिस प्रकाशित किया।

4. उपरोक्त ई-टेंडर नोटिस के अनुसार याचिकाकर्ता ने गांव-हिमनपुरा, तहसील-कालपी, खंड संख्या-2 में 03,03,630 क्यूबिक मीटर की मात्रा के लिए 20.242 हेक्टेयर में खनन पट्टा प्रदान करने के लिए एमएसटीसी पोर्टल पर एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन किए गए क्षेत्र के लिए आरक्षित मूल्य 150 रुपये प्रति घन मीटर था। याचिकाकर्ता ने 150 रुपये प्रति घन मीटर के आरक्षित मूल्य के मुकाबले 1122 रुपये क्यूबिक मीटर की बोली लगाई। याचिकाकर्ता की बोली सबसे ऊंची बोली पाई गई। नतीजतन, प्रतिपक्षियों द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया।

5. प्रतिपक्षी संख्या-3-जिला मजिस्ट्रेट, जालौन ने उपरोक्त क्षेत्र के संबंध में खनन पट्टा प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के पक्ष में एक आशय पत्र (इसके बाद 'एल.ओ.आई.' के रूप में संदर्भित)



जारी किया। वर्ष 20.242 हेक्टेयर क्षेत्र में 03,03,630 क्यूबिक मीटर की मात्रा के लिए याचिकाकर्ता को एल.ओ.आई. जारी किया गया था और याचिकाकर्ता को जो वार्षिक पट्टे की राशि का भुगतान करना था, वह 34,06,72,860/- रुपये थी।

6. एल.ओ.आई. प्राप्त करने के बाद याचिकाकर्ता ने अपेक्षित राशि, अर्थात् सुरक्षा राशि और वार्षिक पट्टा राशि की पहली किस्त जमा की और खनन योजना के लिए आवेदन किया। खनन योजना प्राप्त करने के बाद, याचिकाकर्ता ने पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया, जो याचिकाकर्ता को राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (इसके बाद 'एस.ई.आई.ए.ए.' के रूप में संदर्भित) द्वारा प्रदान किया गया था। इसके बाद, 04.04.2018 से 03.04.2023 तक शुरू होने वाले पांच साल की अवधि के लिए याचिकाकर्ता के पक्ष में 04.04.2018 को विक्रय विलेख निष्पादित किया गया।

7. याचिकाकर्ता का आगे मामला यह था कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार, मानसून के मौसम के दौरान 01.07.2018 से 30.09.2018 तक खनन कार्य प्रतिबंधित किया गया था। मानसून के मौसम के बाद, प्रतिपक्षी संख्या-3 ने नियमावली, 1963 के नियम 58(2) के तहत 01.10.2018 को एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि यदि 01.10.2018 को याचिकाकर्ता को देय पट्टे की राशि की तीसरी तिमाही किस्त का भुगतान समय के भीतर नहीं किया गया था, तो उसे ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा।

8. याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि मानसून के मौसम के बाद, जब उसने खनन कार्य को फिर से शुरू करने की कोशिश की, तो उसने पाया कि पूरा पट्टा क्षेत्र नदी में डूब गया था और कोई खनन संभव नहीं था। चूंकि नियमावली, 1963 के नियम 41-एच (1) में जल स्तर में खनन पर प्रतिबंध है, इसलिए, ऐसी बाध्यकारी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने खनन पट्टे को रद्द करने/आत्मसमर्पण करने के लिए दिनांक 23.10.2018 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि जब प्रतिपक्षी संख्या-3 ने याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो उसने 05.12.2018 को निदेशक, भूविज्ञान और खनन को प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया, और राज्य सरकार को दिनांक 10.12.2018 को एक अन्य अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र का निरीक्षण करने और खनिज की वार्षिक मात्रा को संशोधित करने की प्रार्थना की गई थी।



9. याचिकाकर्ता ने 29.12.2018 को प्रतिपक्षी संख्या-3 को मौके पर निरीक्षण करने और खनिज की मात्रा का आकलन करने के लिए एक और अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन प्रतिपक्षी संख्या-3 ने उक्त अभ्यावेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया।

10. प्रतिपक्षी संख्या-3 ने दिनांक 29.12.2018 के आदेश के माध्यम से नियमावली, 1963 के नियम 58 के तहत याचिकाकर्ता के खनन पट्टे को रद्द कर दिया और पट्टे की शर्त के उल्लंघन के रूप में पट्टा राशि की तीसरी तिमाही किस्त जमा न करने के आधार पर 8,51,68,215/- रुपये की सुरक्षा जमा जब्त कर ली।

11. इसके बाद, याचिकाकर्ता ने दिनांक 29.12.2018 के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण संख्या-08 (आर)/वी.एस.एम. वर्ष 2019 को दायर की, जिसे पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा दिनांक 12.03.2019 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

12. याचिकाकर्ता द्वारा सुरक्षा राशि की जब्ती पर अन्य प्रार्थनाओं के साथ हमला किया गया है, जिन्हें विभिन्न आधारों पर ऊपर निकाला गया है, जिन्हें उचित स्तर पर नोट किया जाएगा।

13. प्रतिपक्षी-राज्य ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क देते हुए जवाबी हलफनामा दायर किया है कि दिनांक 16.11.2017 के विज्ञापन में विशिष्ट शर्त थी कि ई-टेंडर-सह-नीलामी कार्यवाही में भाग लेने से पहले, बोलीदाता स्वयं खनन क्षेत्र में खनिज की अनुमानित मात्रा की उपलब्धता और खनन क्षेत्र के लिए संपर्क मार्ग के बारे में खनन क्षेत्र का निरीक्षण कर सकता है। ई-निविदा-सह-ई-नीलामी कार्यवाही में भाग लेने के बाद खनिज की अनुपलब्धता के बारे में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रतिपक्षी के अनुसार, विज्ञापन के नियमों और शर्तों के अनुसार याचिकाकर्ता ने खनिज और संपर्क मार्ग की अनुमानित मात्रा की उपलब्धता के बारे में खुद को पूरी तरह से संतुष्ट करने के बाद, ई-टेंडर-सह-ई-नीलामी कार्यवाही में भाग लिया और 1122 रुपये प्रति घन मीटर की बोली प्रस्तुत की। चूंकि, याचिकाकर्ता सबसे अधिक बोली लगाने वाला था, इसलिए, उसकी बोली स्वीकार कर ली गई और उसे 27.01.2018 को एल.ओ.आई. जारी किया गया।

14. प्रतिपक्षी का आगे का मामला यह है कि याचिकाकर्ता ने नियमावली, 1963 के नियम 34 के अनुसार विशेषज्ञ के माध्यम से खनन योजना का मसौदा तैयार किया और निदेशक, भूविज्ञान और खनन, उत्तर प्रदेश के समक्ष अनुमोदन के लिए इसे प्रस्तुत किया। प्रतिपक्षी द्वारा यह कहा



गया है कि खनन योजना का मसौदा तैयार करते समय, याचिकाकर्ता और उसके विशेषज्ञ, जिन्हें याचिकाकर्ता ने खनन योजना का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा था, ने फिर से क्षेत्र का निरीक्षण किया। यह भी कहा गया है कि खनन योजना के मसौदे में, खनन क्षेत्र में खनिज की उपलब्धता और खनन की विधि और खनन की विधि और खनन को बंद करने के संबंध में पूरे विवरण का उल्लेख याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं किया गया था। तदनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत खनन योजना को 09.12.2018 को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने एस.ई.आई.ए.ए. से पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एस.ई.आई.ए.ए. के समक्ष इसे प्रस्तुत करने के लिए मसौदा प्रस्ताव तैयार किया, जो याचिकाकर्ता को 31.03.2018 को जारी किया गया था।

15. प्रतिपक्षी के मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता ने खनन पट्टे को निष्पादित करने से पहले तीन बार क्षेत्र का निरीक्षण किया; विज्ञापन में उल्लिखित शर्त के अनुसार ई-निविदा-सह-ई-नीलामी कार्यवाही में भाग लेने से पहले; दूसरे, खनन योजना का मसौदा तैयार करते समय; तीसरा, पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण-पत्र के लिए मसौदा प्रस्ताव तैयार करते समय। यह बताया गया है कि पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद, 04.04.2018 से 03.04.2023 तक पांच साल की अवधि के लिए 04.04.2018 को खनन पट्टे का पंजीकरण किया गया था।

16. प्रतिपक्षी का आगे का मामला यह है कि विक्रय विलेख में नियम और शर्तें और नियम और शर्तों के उल्लंघन के परिणाम शामिल थे। याचिकाकर्ता ने खुली आंखों से खनन पट्टे के नियमों और शर्तों को स्वीकार किया और स्वेच्छा से एक पंजीकृत अनुबंध/खनन पट्टे को निष्पादित किया।

17. प्रतिपक्षी के अनुसार, खनन पट्टे का भाग-2 रॉयल्टी/किस्त के भुगतान की अनुसूची से संबंधित है जो नियमावली, 1963 के नियम 27 और अनुसूची- IV के प्रावधानों के अनुसार है। खनन पट्टे का भाग-3 सामान्य स्थिति और अतिरिक्त शर्त से संबंधित है। सामान्य शर्त संख्या- 1 में विशेष रूप से प्रावधान है कि नियमावली, 1963 के किसी भी नियम या खनन पट्टे की किसी भी संधि और शर्त के उल्लंघन पर, खनन पट्टा निर्धारित किया जा सकता है और प्रतिभूति जमा पूरी तरह से या आंशिक रूप से जब्त की जा सकती है। प्रतिपक्षी का विशिष्ट मामला यह है कि यदि पट्टे के निर्धारण का निर्णय खनन पट्टे के खंड-1 के भाग-3 के अनुसार लिया जाता है तो प्रतिभूति की राशि के समायोजन के लिए खनन पट्टे में कोई विशिष्ट शर्त नहीं है।

18. प्रतिपक्षी का कहना है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने खनन पट्टे के नियमों और शर्तों के साथ-साथ नियमावली, 1963 के प्रावधानों का उल्लंघन किया था और भुगतान के लिए सहमत अनुसूची

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के अनुसार रॉयल्टी जमा नहीं की थी, इसलिए याचिकाकर्ता की सुरक्षा राशि खनन पट्टे के नियमों और शर्तों के तहत जब्त की जा सकती थी।

19. प्रतिपक्षी का यह भी मामला है कि याचिकाकर्ता ने नियमावली, 1963 के प्रावधान का उल्लंघन किया है क्योंकि उसने खनिज की खुदाई की थी और रॉयल्टी और डी.एम.एफ. (जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट फंड), टीसीएस आदि जैसी अन्य राशि जमा किए बिना खनन किया था। याचिकाकर्ता अवैध खनन में भी शामिल था, जिसके लिए कार्रवाई की गई थी।

20. प्रतिपक्षी ने यह भी कहा कि विक्रय विलेख में यह निर्धारित किया गया है कि किस्त जमा न करने का परिणाम सुरक्षा जमा की जब्ती है। प्रतिपक्षी ने इस तथ्य से इनकार किया कि सुरक्षा जमा राशि को अवैतनिक किस्त के रूप में समायोजित किया जा सकता है।

21. यह भी कहा गया है कि पट्टेदार की गलती के कारण मध्यावधि में खनन पट्टे के निर्धारण के कारण और खनन बंद करने की योजना के अनुसार खनन को बंद नहीं करने के कारण, राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि नए अनुदान में काफी समय लगता है, इसलिए, प्रतिभूति जमा की जब्ती के लिए खनन पट्टे में विशिष्ट प्रावधान किया गया है, और याचिकाकर्ता उक्त नियमों और शर्तों पर सहमत हो गया है। प्रतिपक्षी ने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए बयानों के जवाब में कहा है कि कई जिलों में, जिला मजिस्ट्रेटों ने किस्त के लिए सुरक्षा राशि को समायोजित किया है, कहा है कि यह संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने विवेक से किया गया था, लेकिन खनन पट्टे में निहित शर्तों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को उक्त लाभ नहीं दिया जा सकता है।

22. याचिकाकर्ता ने जवाबी हलफनामे में निहित कथनों से इनकार करते हुए प्रत्युत्तर हलफनामा दायर किया। याचिकाकर्ता ने फिर से दोहराया कि प्रतिपक्षी के पास सुरक्षा जब्त करने की कोई शक्ति नहीं है।

23. प्रतिभूति जब्त करने के आदेश को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रतिपक्षी संख्या-3 को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (इसके बाद 'एम.एम.डी.आर. अधिनियम' के रूप में संदर्भित) या नियमावली, 1963 के तहत सुरक्षा की जब्ती की शक्ति प्रदान नहीं की गई है, इसलिए, प्रतिपक्षी संख्या-3 द्वारा सुरक्षा की जब्ती अवैध और अधिकार क्षेत्र से परे है।



24. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या-3 ने याचिकाकर्ता द्वारा रॉयल्टी/पट्टा राशि जमा न किए जाने को त्रुटिवश पट्टा विलेख के नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन मान लिया है, जबकि पट्टा राशि/रॉयल्टी का समय से जमा न किया जाना किन परिणामों को उत्पन्न करेगा, इसका प्रावधान नियमावली, 1963 के नियम 58, दिनांक 04.04.2018 के पट्टा विलेख के भाग-2 की शर्त संख्या-3 तथा दिनांक 14.08.2017 के शासनादेश के खंड 19(3) में किया गया है। उक्त प्रावधानों के अनुसार ऐसी राशि की वसूली, निर्धारित ब्याज सहित, भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जानी है।

25. दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि नियमावली, 1963 के नियम 58 के बाद से, दिनांक 04.04.2018 के विक्रय विलेख के भाग-2 की शर्त संख्या-3 और 14.08.2017 के सरकारी आदेश के खंड 19(3) समय पर पट्टे की राशि/रॉयल्टी जमा न करने के मामले में सुरक्षा की जब्ती का प्रावधान नहीं करते हैं, इसलिए, प्रतिपक्षी संख्या-3 के पास समय पर रॉयल्टी की किस्त जमा न करने के लिए सुरक्षा को जब्त करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है विक्रय विलेख के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के रूप में, और प्रतिपक्षी संख्या-3 ब्याज के साथ भू-राजस्व के बकाया के रूप में ही उक्त राशि की वसूली कर सकता है।

26. आगे यह तर्क दिया जाता है कि पट्टा विलेख के भाग-2 के तहत किस्त का भुगतान प्रदान किया जाता है जो यह निर्धारित करता है कि हटाए गए रेत/मोरंग की रॉयल्टी नियमावली, 1963 की पहली अनुसूची में निहित प्रावधान के अनुसार देय होगी। इसलिए, तीसरी तिमाही किस्त जमा न करना विक्रय विलेख के किसी भी नियम या शर्त का उल्लंघन नहीं है।

27. आगे यह तर्क दिया जाता है कि तीसरी किस्त का भुगतान न करना विक्रय विलेख के नियमों और शर्तों का उल्लंघन होता यदि याचिकाकर्ता ने विक्रय विलेख के तहत आवंटित साइट से 01.10.2018 के बाद खनिज को हटा दिया होता, इसलिए, तीसरी किस्त का भुगतान न करना किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं है क्योंकि किस्त का भुगतान खनिज को हटाने से जुड़ा हुआ है जैसा कि भाग-2 के खंड-1 और एम.एम.डी.आर. की धारा 15(3) के तहत प्रदान किया गया है ढोंग। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार, विक्रय विलेख के भाग-2 के खंड-1 में एम.एम.डी.आर. अधिनियम की धारा 15(3) के तहत वैधानिक समर्थन मिलता है और इस प्रकार, प्रतिपक्षी की प्रतिभूति जब्त करने की कार्रवाई अवैध और मनमाना है।



28. आगे यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिपक्षी संख्या-3 ने विक्रय विलेख की उपरोक्त शर्त के तहत प्रदान की गई सुरक्षा को जब्त करने या खनन पट्टे को रद्द करने से पहले याचिकाकर्ता को कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया है और न ही याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिया गया था, इसलिए, प्रतिपक्षी संख्या-3 ने जमानत जब्त करने के लिए पट्टा विलेख के उपरोक्त खंड पर गलत तरीके से भरोसा किया है। यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिपक्षी संख्या-3 द्वारा नियमावली, 1963 के नियम 58(1) के तहत पट्टे की त्रैमासिक किस्त जमा न करने के लिए कार्रवाई की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप नियमावली, 1963 के नियम 58(2) में प्रदान किया गया है।

29. उन्होंने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि नियमावली, 1963 का नियम 29 केवल उन परिस्थितियों में सुरक्षा जमा राशि के समपहरण का प्रावधान करता है, जब नियम 29 में उल्लिखित शर्तें विद्यमान हों। उक्त तर्क का विस्तार करते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई पट्टेदार तीन माह की अवधि के भीतर पट्टा विलेख का पंजीकरण नहीं कराता है, तो ऐसी स्थिति में पट्टा विलेख शून्य एवं निष्प्रभावी माना जाएगा तथा पट्टेदार द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि समपहत कर ली जाएगी। तथापि, वर्तमान प्रकरण में सुरक्षा राशि के समपहरण हेतु नियमावली, 1963 के नियम 29 में परिकल्पित ऐसी कोई भी परिस्थिति विद्यमान नहीं है।

30. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यदि तर्क के लिए, यह स्वीकार किया जाता है कि प्रतिभूति जब्त की जा सकती है, तो ऐसी कार्रवाई नियमावली, 1963 के नियम 50 को निरर्थक बना देगी जो विक्रय विलेख के निर्धारण पर सुरक्षा जमा की वापसी का प्रावधान करती है।

31. यह भी तर्क दिया जाता है कि पट्टा विलेख के भाग-3 के खंड-1 को पढ़ने से प्राधिकरण को आंशिक या पूर्ण रूप से और सिद्धांत के मामले के रूप में सुरक्षा जमा को जब्त करने का विवेक मिलता है जिसे तर्क द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, और चूंकि प्रस्तुत मामले में, संपूर्ण सुरक्षा की जब्ती किसी भी कारण से समर्थित नहीं है, इसलिए, सुरक्षा की जब्ती त्रुटिपूर्ण है।

32. तत्स्य विपरीत, मुख्य स्थायी अधिवक्ता-II का तर्क होगा कि नियमावली, 1963 के नियम 58 के अवलोकन से पता चलता है कि उपरोक्त प्रावधान रॉयल्टी का भुगतान न करने के कुछ परिणामों को सूचीबद्ध करते हुए प्रकृति में समावेशी है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि नियमावली, 1963 के नियम 58(1) में, विधायिका ने उल्लेख किया है कि "यह अधिकार इस तरह के बकाये की वसूली के लिए राज्य सरकार के अधिकार के अतिरिक्त और बिना किसी पूर्वाग्रह के होगा"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विधायिका के इरादे को प्रकट करता है कि उपरोक्त प्रावधान रॉयल्टी का भुगतान न करने के अन्य परिणामों के अतिरिक्त है। तदनुसार, यह तर्क दिया जाता है कि नियत तारीख पर रॉयल्टी जमा करने में विफलता के मामले में सुरक्षा धन की जब्ती विक्रय विलेख के नियमों और शर्तों के अनुरूप है, और यह तब मान्य होगी, जब याचिकाकर्ता ने बिना किसी आपत्ति के स्वेच्छा से विक्रय विलेख में उक्त शर्त के बारे में अच्छी तरह से जानते हुए खनन पट्टा विलेख निष्पादित किया और इसे पंजीकृत कराया।

33. वह आगे प्रस्तुत करता है कि पट्टा विलेख के भाग-3 का खंड-1 स्पष्ट है और यह निर्धारित करता है कि पट्टा विलेख की शर्त के उल्लंघन के मामले में, सुरक्षा धन को जब्त किया जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि नियमावली, 1963 के नियम 29 के अनुसार नियमावली, 1963 की अनुसूची 3 में फॉर्म एम.एम.-6 में विक्रय विलेख निष्पादित किया जाता है, और विक्रय विलेख की इस शर्त को विशेष रूप से फॉर्म एम.एम.-6 में सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए, विक्रय विलेख के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के कारण सुरक्षा धन की जब्ती नियम 1963 के तहत एक वैधानिक बल है, तदनुसार, वह प्रस्तुत करता है कि यह तर्क देना गलत है कि प्रतिपक्षी संख्या-3 के पास सुरक्षा जब्त करने की कोई शक्ति नहीं है।

34. वह प्रस्तुत करता है कि किस्त के भुगतान का तरीका और तारीख विक्रय विलेख के तहत गिना जाता है जो याचिकाकर्ता को विक्रय विलेख में निर्धारित तारीख पर किस्त का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है, और यदि विक्रय विलेख में निर्धारित तारीख पर किस्त के भुगतान में कोई उल्लंघन होता है, तो यह विक्रय विलेख के नियमों और शर्तों का उल्लंघन होगा। इसलिए, प्रतिपक्षी संख्या-3 ने विक्रय विलेख के तहत सुरक्षा धन की जब्ती के खंड को विक्रय विलेख के नियमों और शर्तों का उल्लंघन माना है।

35. उन्होंने आगे कहा कि हालांकि नियमावली, 1963 के नियम 58(1) या दिनांक 14.08.2017 के सरकारी आदेश के खंड 19(3) में विशेष रूप से प्रतिभूति की जब्ती का प्रावधान नहीं है, लेकिन न तो एम.एम.डी.आर. अधिनियम और न ही नियमावली, 1963 और न ही 14.08.2017 का सरकारी आदेश राज्य को पट्टे के नियमों और शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में प्रतिभूति जब्त करने से रोकता है, और एक बार, याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से विक्रय विलेख में उक्त शर्त को जानते हुए विक्रय विलेख के नियमों और शर्तों को स्वीकार कर लिया, याचिकाकर्ता विक्रय विलेख के नियमों और शर्तों से बंधा हुआ है और इस स्तर पर प्रतिभूति की जब्ती को चुनौती नहीं दे



सकता है। तदनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिपक्षी संख्या-3 ने याचिकाकर्ता की सुरक्षा राशि को जब्त कर लिया है।

36. वह आगे प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क कि एम.एम.डी.आर. अधिनियम की धारा 15(3) के मद्देनजर, केवल हटाए गए खनिज के संबंध में रॉयल्टी ली जा सकती है, एम.एम.डी.आर. अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (3) में नियोजित भाषा विधायिका के ऐसे किसी भी इरादे का सुझाव नहीं देती है कि रॉयल्टी केवल हटाए गए खनिज के संबंध में ली जा सकती है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि यदि यह विधायिका का इरादा होता, तो एम.एम.डी.आर. अधिनियम की धारा 15(3) में हटाए गए या उपभोग किए गए गौण खनिज के संबंध में शब्द से पहले केवल शब्द को शामिल किया गया होता, जबकि हटाए गए या उपभोग किए गए गौण खनिज के संबंध में शब्द से पहले धारा 15(3) में ऐसा कोई शब्द शामिल नहीं किया गया है।

37. वह आगे प्रस्तुत करता है कि एक बार जब याचिकाकर्ता ने एक पंजीकृत पट्टा विलेख निष्पादित करके एक संविदात्मक दायित्व में प्रवेश किया है, जिसमें रॉयल्टी की किस्त और इसकी नियत तारीख को विक्रय विलेख में शामिल किया गया है, तो याचिकाकर्ता बाद में विक्रय विलेख के माध्यम से अनुबंध में प्रवेश करने के बाद विक्रय विलेख के नियमों और शर्तों से विचलित नहीं हो सकता है क्योंकि विक्रय विलेख के तहत किया गया दायित्व पक्षगण पर बाध्यकारी है। आगे यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिभूति धन की जब्ती का दंडात्मक प्रावधान करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पट्टाधारक अपनी इच्छा के अनुसार संविदात्मक दायित्वों से भाग न जाए। इस प्रकार, वह प्रस्तुत करता है कि विक्रय विलेख के तहत जब्ती के प्रावधान को एक उद्देश्य के साथ शामिल किया गया है कि यदि पट्टेदार विक्रय विलेख के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करता है, जिससे विक्रय विलेख समाप्त हो जाती है, तो उस स्थिति में, खनन के संचालन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई की जा सकती है क्योंकि विक्रय विलेख की समाप्ति के बाद, विक्रय विलेख की समाप्ति के कारण रिक्त घोषित क्षेत्र के संबंध में नए विक्रय विलेख को निष्पादित करने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है।

38. हमने पक्षगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।



39. निर्विवाद तथ्य, जैसा कि अभिलेखों से निकलता है, यह है कि प्रतिपक्षी संख्या-3 द्वारा रेत और मोरंग के लिए पट्टे की मंजूरी के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले एक विज्ञापन के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने 03,03,630 क्यूबिक मीटर की मात्रा के लिए 20.242 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए खनन कार्य करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।

40. सभी आवश्यकताओं का पालन करने के बाद, रेत और मोरंग की खुदाई के लिए याचिकाकर्ता और प्रतिपक्षी-राज्य के बीच दिनांक 04.04.2018 को एक पंजीकृत पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था। चूंकि याचिकाकर्ता समय पर तीसरी तिमाही किस्त जमा नहीं कर सका, इसलिए, याचिकाकर्ता का पट्टा दिनांक 29.12.2018 के आदेश द्वारा समाप्त कर दिया गया था और याचिकाकर्ता की सुरक्षा जब्त कर ली गई थी, और याचिकाकर्ता के खिलाफ तीसरी किस्त की वसूली जारी की गई थी, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा संशोधन संख्या-08 (आर)/वीएसएम वर्ष 2019 में चुनौती दी गई थी, जिसे भी खारिज कर दिया गया था।

41. चूंकि, इस मामले में विवाद याचिकाकर्ता और प्रतिपक्षी-राज्य के बीच निष्पादित दिनांक 04.04.2018 के विक्रय विलेख के नियमों और शर्तों के इर्द-गिर्द घूमता है, इसलिए, दिनांक 04.04.2018 को विक्रय विलेख की प्रासंगिक शर्त को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा: -

"उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 जिसे आगे "उक्त नियमावली कहा गया है के अनुसार किये गये ई-निविदा सह ई-नीलामी में 303630 घनमीटर (प्रतिवर्ष) बालू/मोरम के लिये पट्टेदार द्वारा रु0 1122.00 प्रति घनमीटर की दर से प्रथम वर्ष हेतु रु0 34,06,72,860-00 तथा अनुवर्ती वर्षों में गत वर्ष की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत वृद्धि करके देय होगा। राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे के लिये 5 वर्ष के निमित्त एतद्दीन लिखित अनुसूची के भाग-1 में वर्णित भूमि ग्राम-हिमनपुरा के गाटा संख्या-240 खण्ड संख्या-2 रकबा-20.242 है० के लिये स्वीकार कर लिया गया है और उन्होंने प्रतिभूति स्वरूप राज्य सरकार के पास रु0 8,51,68,215-00 की धनराशि जमा कर दी है।

यह इस बात का साक्ष्य है कि इस उपस्थापन पत्र और निम्नलिखित अनुसूची द्वारा रक्षित और उसमें दिये गये और पट्टेदार की ओर से भुगतान किये जाने वाले पालन तथा सम्पादन किये जाने वाले, स्वामित्वों, प्रसंविदाओं तथा अनुबन्धों के प्रतिफल में राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार को निम्नलिखित प्रदान और पट्टातरित करता है। बेतवा नदी में उपलब्ध बालू/मोरम, जिन्हें आगे अभिदिष्ट अनुसूची में "उक्तः" "खनिज" कहा गया है की समस्त खान, तल्प (Beds), संदर सीम्स (Viens seams) जो अनुसूची के भाग-1 में अभिदिष्ट भूमि में या उसके नीचे स्थित हो, के साथ, जिसके सम्बन्ध में उन प्रतिबन्धों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए प्रयोग या उपयोग किया जायेगा, जो ऐसी स्वतन्त्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग तथा उपयोग करने के बारे में हो सिवाय इसके

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और इसमें से आरक्षित उक्त नियमावली में उल्लिखित स्वतन्त्रताओं, अधिकार तथा विशेषाधिकार राज्य सरकार में पट्टान्तरित हो जायेंगे।

दिनांक 04/04/18 से दिनांक 03/04/23 तक 05 वर्ष की आगामी अवधि के लिए पट्टेदार को एतद्वारा दिये गये और पट्टान्तरित ऐसे भू-गृहादि धारण करना, जिनसे खनिज निकलने लगे और राज्य सरकार को उक्त अनुसूची के भाग-2 में उल्लिखित स्वामित्वों का भुगतान उसमें निर्दिष्ट भिन्न-भिन्न समयों पर होने लगे किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा उक्त भाग के उपबन्धों के अधीन हो और पट्टेदार एतद्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है और राज्य सरकार एतद्वारा पट्टेदार के साथ प्रसंविदा करती है, जैसा कि उक्त नियमावली में अभिव्यक्ति है और एतद्वारा इसके साथ दिये गये पक्षों के बीच परस्पर सहमत हुआ है और जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग 3 में अभिव्यक्ति है।

ऊपर अभिदिष्ट अनुसूची

भाग-1

इस पट्टे का क्षेत्र

पट्टे का स्थान और क्षेत्र-वह समस्त भू-खण्ड जो जनपद-जालौन तहसील-कालपी, और थाना कदौरा के अन्तर्गत स्थान ग्राम-हिमनपुरा के गाटा संख्या-240 खण्ड संख्या-2 रकबा-20.242 हे० जो इसके साथ संलग्न नक्शे में चिन्हित है और उसे लाल रंग से रंजित (Coloured) किया गया है और जिसकी सीमायें तथा अक्षांश व देशान्तर निम्नलिखित हैं:-

खण्ड संख्या-2	उत्तरे- गाटा सं० 79, 84, 85, 93 दक्षिण- गाटा सं० 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 बाद बेटवानदी सीमा जनपद हमीरपुर पूर्व- सीमा खण्ड सं०-01 पश्चिम- सीमा खण्ड सं०-03 (A) N-250 51.51.33" E-790 47"49.56" (B) N-250 51" 58.31" E-790 48"8.54" (C) N-250 52"10.14" E-790 48"0.93" (D) N-250 52 6.77" E-790 47"50.48"
---------------	--

और जिसे एतद्वारा "उक्त भूखण्ड" कहा गया है।

भाग-2

इस पट्टे द्वारा संरक्षित स्वामित्व

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. स्वामित्व की धनराशि: पट्टेदार इस पट्टे की अवधि में राज्य सरकार को पट्टे पर दिये गये क्षेत्र में उसके द्वारा हटाये गये सभी बालू / मोरम के सम्बन्ध में नियमावली के चतुर्थ अनुसूची में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निम्नानुसार स्वामित्व का भुगतान करेगा।

देय धनराशियों के जमा करने की अनुसूची

देय धनराशियों के जमा करने की अनुसूची

क्र० सं०	पट्टा वर्ष	गद	देय धनराशि (रु० में)	देय तिथि
1.	प्रथम वर्ष	प्रथम किस्त (25%)	8,51,68,215.00	अधिम जमा
2.		द्वितीय किस्त (25%)	8,51,68,215.00	01.07.2018
3.		तृतीय किस्त (25%)	8,51,68,215.00	01.10.2018
4.		चतुर्थ किस्त (25%)	8,51,68,215.00	01.01.2019
5.	प्रतिमूर्ति छोड़कर प्रथम वर्ष में देय धनराशियों का योग	34,06,72,860.00		
6.	द्वितीय वर्ष	प्रथम किस्त (25%)	9,38,85,037.00	01.04.2019
7.		द्वितीय किस्त (25%)	9,38,85,037.00	01.07.2019
8.		तृतीय किस्त (25%)	9,38,85,036.00	01.10.2019
9.		चतुर्थी किस्त (25%)	9,38,85,036.00	01.01.2020
10.		द्वितीय वर्ष में देय धनराशियों का योग	37,47,40,146.00	
11.	तृतीय वर्ष	प्रथम किस्त (25%)	10,30,53,540.00	01.04.2020
12.		द्वितीय किस्त (25%)	10,30,53,540.00	01.07.2020
13.		तृतीय किस्त (25%)	10,30,53,540.00	01.10.2020
14.		चतुर्थी किस्त (25%)	10,30,53,541.00	01.01.2021
15.		तृतीय वर्ष में देय धनराशियों का योग	41,22,14,161.00	
16.	चतुर्थी वर्ष	प्रथम किस्त (25%)	11,33,58,894.00	01.04.2021
17.		द्वितीय किस्त (25%)	11,33,58,894.00	01.07.2021
18.		तृतीय किस्त (25%)	11,33,58,894.00	01.10.2021
19.		चतुर्थी किस्त (25%)	11,33,58,895.00	01.01.2022
20.		चतुर्थी वर्ष में देय धनराशियों का योग	45,34,35,577.00	
21.	पंचम वर्ष	प्रथम किस्त (25%)	12,46,94,784.00	01.04.2022
22.		द्वितीय किस्त (25%)	12,46,94,784.00	01.07.2022
23.		तृतीय किस्त (25%)	12,46,94,784.00	01.10.2022
24.		चतुर्थी किस्त (25%)	12,46,94,783.00	01.01.2023
25.		पंचम वर्ष में देय धनराशियों का योग	49,87,79,135.00	

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



26.		प्रतिष्ठित छोड़कर पाँच वर्ष में देय धनराशियों का योग	2,07,98,41,879.00	
-----	--	--	-------------------	--

2. स्वामित्व कटौती आदि से मुक्त होगा: इस भाग में उल्लिखित स्वामित्व की किशतों का भुगतान बिना किसी कटौतियों के राज्य सरकार को निर्धारित लेखा शीर्षक "0853 अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग" पर सरकारी कोषागार में जमा करके किया जायेगा तथा चालान की एक प्रति जिलाधिकारी को भेजी जायेगी।

3. स्वामित्व का समय पर भुगतान न किया जाये तो कार्यवाही की प्रक्रिया: यदि इस उपस्थापना पत्र (Presents) की शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन राज्य सरकार को देय स्वामित्व की किसी किशत का भुगतान पट्टेदार द्वारा नियत समय के भीतर न किया जाये, तो उसे ऐसे अधिकारी के जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशिष्ट आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट करे, प्रमाण पत्र पर उसी रीति से वसूल की जा सकती है, जैसे मालगुजारी का बकाया।

भाग 3

सामान्य उपबन्ध

1. नियमों, प्रसंविदाओं और शर्तों को भंग करने पर पट्टा समाप्त किया जा सकता है: यदि पट्टेदार उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली 1963 के किसी नियम या इस पट्टे की किसी प्रसंविदा तथा किसी शर्त को भंग करें तो राज्य सरकार पट्टा समाप्त कर सकती है और प्रतिभूति जमा को पूर्णतः या अंशतः जब्त कर सकती है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पट्टा समाप्त किये जाने के पूर्व पट्टेदार को उन्हें भंग करने का स्पष्टीकरण देने के लिए यथोचित अवसर दिया जायेगा।

42. विक्रय विलेख की अतिरिक्त शर्त का प्रस्तर-8 भी वर्तमान मामले में प्रासंगिक है, इसलिए, इसे भी नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है: -

"8. यदि पट्टेदार द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र खनन योजना, लेटर आफ इंटेंट आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।"

43. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने तर्क का समर्थन करने के लिए कि एम.एम.डी.आर. अधिनियम या नियमावली, 1963 या 14.08.2017 के सरकारी आदेश के तहत कोई प्रावधान नहीं है, जो प्रतिपक्षी संख्या-3 को प्रतिभूति जब्त करने की शक्ति प्रदान करता है यदि रॉयल्टी की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किस्त का भुगतान समय पर नहीं किया गया है, तो दिनांक 04.04.2018 के विक्रय विलेख में उल्लिखित सामान्य शर्त के भाग-3 के खंड-1 पर अवलंबन किया गया है, जिसे पहले ही ऊपर निकाला जा चुका है। उन्होंने नियमावली, 1963 का नियम 58 और 14.08.2017 के सरकारी आदेश का प्रस्तर 19(3) भी रखा है।

44. सुविधा के लिए नियमावली, 1963 का नियम 58 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"58. रॉयल्टी, किराया या अन्य देय राशि का भुगतान न करने के परिणाम-(1) राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, पट्टेदार को नोटिस प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर पट्टे के अंतर्गत देय या मृत किराए का भुगतान करने के लिए नोटिस देने के बाद खनन पट्टे का निर्धारण कर सकेगा, जिसमें राज्य सरकार को देय रॉयल्टी भी शामिल है, यदि तारीख के बाद अगले पंद्रह दिनों के भीतर उसका भुगतान नहीं किया गया था, तो पट्टेदार को नोटिस प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर भुगतान किया जा सकेगा इस तरह के भुगतान के लिए तय किया गया। यह अधिकार भू-राजस्व के बकायों के रूप में पट्टेदार से ऐसी देय राशि वसूलने के राज्य सरकार के अधिकार के अतिरिक्त और प्रतिकूल प्रभाव के बिना होगा।

(2) इन नियमों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उप-नियम (1) के अधीन नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद राज्य सरकार को इन नियमों के अधीन किसी किराया, रॉयल्टी, सीमांकन शुल्क और किसी अन्य देय राशि पर वर्ष 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जा सकेगा।

45. दिनांक 14.08.2017 के सरकारी आदेश के प्रस्तर-19(3) को भी नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है: -

"19-सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति -

(3) प्रथम वर्ष के लिए शेष 75 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षों के लिए पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित चतुर्थ अनुसूची के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रक्रिया के



अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम-59 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।"

(नोट: ऐसा प्रतीत होता है कि 'नियम 59' को 'नियम 58' के बजाय दिनांक 14.08.2017 के सरकारी आदेश के प्रस्तर-19(3) में गलत तरीके से टाइप किया गया है क्योंकि नियम 59 पट्टे की राशि या रॉयल्टी का भुगतान न करने से संबंधित मामले से संबंधित है।

46. नियमावली, 1963 के नियम 58(1) के अनुसार, यदि पट्टेदार समय पर रॉयल्टी का भुगतान नहीं करता है, तो राज्य सरकार या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी पट्टेदार को नोटिस प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए नोटिस देने के बाद खनन या नीलामी पट्टे का निर्धारण कर सकता है, राज्य सरकार को देय रॉयल्टी सहित पट्टे के तहत देय या मृत किराए का भुगतान करने के लिए यदि वह नहीं था इस तरह के भुगतान के लिए निर्धारित तिथि के बाद पंद्रह दिनों के भीतर भुगतान किया गया।

47. नियमावली, 1963 के नियम 58(1) में यह भी प्रावधान है कि यह अधिकार भू-राजस्व के बकाया के रूप में पट्टेदार से ऐसी देय राशि वसूलने के राज्य सरकार के अधिकार के अतिरिक्त और प्रतिकूल प्रभाव के बिना होगा। नियमावली, 1963 के नियम 58(1) को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि पट्टे को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी को पट्टे को समाप्त करने के लिए प्रदत्त शक्ति एक अतिरिक्त और स्वतंत्र अधिकार है जो राज्य सरकार या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी प्राधिकरण को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में रॉयल्टी की राशि की वसूली करने के राज्य के अधिकार को प्रभावित या प्रभावित किए बिना प्रदान किया गया है।

48. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने उपर्युक्त तर्क के समर्थन में, कि न तो नियम, 1963 का नियम 58 और न ही दिनांक 14.08.2017 के शासनादेश का खंड 19(3) राज्य सरकार को सुरक्षा राशि के समपहरण का अधिकार प्रदान करता है, इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों, अर्थात् बनाम एवं अन्य (रिट-सी संख्या 13569 वर्ष 2019) तथा बनाम एवं अन्य (रिट-सी संख्या 28355 वर्ष 2021) में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है।

49. अजय राज द्विवेदी (उपरोक्त) के मामले में, याचिकाकर्ता ने उस आदेश का विरोध किया जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ वसूली जारी की गई थी और विक्रय विलेख रद्द कर दी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गई थी। याचिकाकर्ता की फर्म को काली सूची में डाल दिया गया और याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि जब्त कर ली गई।

50. इस न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता के खिलाफ वसूली और विक्रय विलेख को रद्द करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए बुरा था। इस न्यायालय ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता की फर्म को काली सूची में डालना भी बुरा था क्योंकि याचिकाकर्ता की फर्म को काली सूची में डालने के संबंध में कारण बताओ नोटिस में कुछ भी नहीं कहा गया है और न ही याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि को जब्त करने के बारे में कुछ भी कहा गया है। इस न्यायालय ने नियमावली, 1963 के नियम 58 और दिनांक 14.08.2017 के सरकारी आदेश के खंड 19(3) पर भरोसा करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि चूंकि उपरोक्त प्रावधान किस्त जमा न करने के मामले में सुरक्षा की जब्ती का प्रावधान नहीं करता है, इसलिए पट्टेदार/याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि को जब्त नहीं किया जा सकता है। अजय राज द्विवेदी (उपरोक्त) के मामले में निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण यहां नीचे दिया गया है: -

"हमारे विचार में, नियमावली, 1963 के नियम 58 और 14.08.2017 के सरकारी आदेश के खंड 19(3) के अनुसार, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि पट्टेदार रॉयल्टी या मृत किराए का भुगतान नहीं करेगा तो नोटिस देने के बाद पट्टा निर्धारित किया जाएगा और उक्त राशि को उप-नियम (2) के तहत निर्धारित ब्याज के साथ भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा, इस प्रकार विक्रय विलेख को रद्द करने के लिए नियम 1963 के नियम 58 के तहत आदेश पारित करते समय, पट्टेदार/याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि को जब्त नहीं किया जा सकता था। इस संबंध में, नियमावली, 1963 के नियम 58 को नीचे उद्धृत किया जा रहा है: -

58. रॉयल्टी, किराया या अन्य बकाया राशि का भुगतान न करने के परिणाम:

.....

इसी तरह, दिनांक 14.08.2017 के सरकारी आदेश के अनुसार, पट्टेदार द्वारा समय पर पट्टे की राशि/रॉयल्टी जमा न करने का परिणाम खंड 19(3) में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि पट्टेदार द्वारा पट्टे की राशि समय के भीतर जमा नहीं की जाएगी, तो इसे नियम 1963 के नियम 58 के तहत प्रदान किए गए ब्याज और



प्रतिभूति राशि की जब्ती के साथ वसूल किया जाएगा (ख) उक्त सरकारी आदेश में पट्टे की राशि जमा न करने के आधार पर अनुमति नहीं दी गई है।

यह भी देखा गया है कि आक्षेपित आदेश में, जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट ने समय पर रॉयल्टी/पट्टा राशि जमा न करने को याचिकाकर्ता द्वारा विक्रय विलेख और नियम की शर्त के उल्लंघन के रूप में माना है, जो पूरी तरह से निराधार है क्योंकि समय पर पट्टा राशि/रॉयल्टी जमा न करने के परिणाम नियम 1963 के नियम 58 और दिनांक के सरकारी आदेश के खंड 19(3) के तहत प्रदान किए गए हैं 14.08.2017 के तहत दायर किया गया है, जो पट्टेदार/याचिकाकर्ता द्वारा जमा किए गए प्रतिभूति धन को जब्त करने की अनुमति नहीं देता है और केवल निर्धारित ब्याज के साथ भू-राजस्व के बकाया के रूप में उक्त राशि की वसूली प्रदान करता है। याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि को दिनांक 21.06.2019 के आदेश के माध्यम से विक्रय विलेख को रद्द करने के बाद याचिकाकर्ता पर निर्धारित बकाया/देयता के लिए समायोजित किया जाना था।

51. इस न्यायालय के अन्य निर्णय में श्रीमती कल्पना करवरिया (उपरोक्त) हैं, न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या नियमावली, 1963 के तहत पट्टा प्रदान करने के समय जमा की गई सुरक्षा राशि को जब्त किया जा सकता है जब रॉयल्टी, किराया या अन्य बकाया राशि का भुगतान न करने के लिए पट्टा निर्धारित किया गया था। इस न्यायालय ने नियमावली, 1963 के नियम 58, 14.08.2017 के सरकारी आदेश के खंड 19(3), नियमावली, 1963 के नियम 59 का हवाला देते हुए माना कि सुरक्षा की जब्ती कानून में खराब है। उक्त निर्णय के प्रस्तर संख्या-13 से 15 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है: -

"13. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री सूरज सिंह की सहायता से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकेश प्रसाद को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि जब याचिकाकर्ता ने पहले वर्ष की चौथी किस्त का भुगतान नहीं किया था तो देय टीडीएस राशि के साथ वह राशि और जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट फंड के लिए देय राशि को केवल भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूला जा सकता है। नियमावली 1963 के नियम 58, 59 और 60 का एक समग्र पठन, निश्चित रूप से यह स्पष्ट करता है कि यदि पट्टे के तहत किसी विशेष रॉयल्टी या किसी अन्य देय का भुगतान नहीं किया गया था, तो पट्टे के निर्धारण के अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा सरकार को देय राशि को



केवल भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता था। हालांकि, यदि कई नियमों में से किसी का पालन न करने के लिए कोई जुर्माना था या यदि रॉयल्टी, किराया या अन्य बकाया के भुगतान से संबंधित नियमों को छोड़कर किसी भी पट्टे की शर्त का उल्लंघन हुआ था, तो राज्य सरकार पट्टे का निर्धारण कर सकती थी और प्रतिभूति जब्त करने के नियम 59 और 60 के तहत जुर्माना भी लगा सकती थी। निश्चित रूप से, नियम 58 के प्रावधान 1963 के नियमों के नियम 59 और 60 के प्रावधानों से अलग हैं।

14. नियम 58 केवल रॉयल्टी, किराया या अन्य बकाया राशि का भुगतान न करने के परिणामों के संबंध में है। नियम 59 कुछ शर्तों के उल्लंघन के संबंध में है जिसमें जुर्माना लगाया जा सकता है और यदि जुर्माना नहीं दिया जाता है, तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पट्टेदार द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि से कटौती की जा सकती है। नियम 60 किसी भी नियम वर्ष 1963 के नियमों या शर्तों और उसमें निहित वाचा के किसी भी पट्टेदार द्वारा उल्लंघन या उल्लंघन के संबंध में था, सिवाय रॉयल्टी, किराया या अन्य देय रकम के भुगतान से संबंधित।

15. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का निश्चित रूप से विचार है कि तीन आक्षेपित आदेशों अर्थात् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एफ एंड आर) के दिनांक 25.03.2019 के आदेश द्वारा रॉयल्टी की जब्ती/जब्ती; अपीलीय न्यायालय के दिनांक 16.07.2021 के आदेश और पुनरीक्षण न्यायालय के दिनांक 20.09.2021 के आदेश को कानून की नजर में कायम नहीं रखा जा सकता है। याचिकाकर्ता से जो राशि देय थी, उसे केवल भू-राजस्व के बकाया के रूप में ही वसूला जा सकता था। हालांकि, चूंकि याचिकाकर्ता ने एक प्रस्ताव दिया था कि याचिकाकर्ता से देय धन यानी पहले वर्ष की चौथी किस्त और अन्य वैधानिक बकाया राशि को सुरक्षा राशि से वसूल किया जाए, इसलिए यह प्रदान किया जा रहा है कि इन राशियों को 1,74,00,000/- रुपये की सुरक्षा राशि से वसूला जा सकता है जो याचिकाकर्ता द्वारा पट्टे के निष्पादन से पहले जमा किया गया था। जमानत की बाकी राशि याचिकाकर्ता को तुरंत जारी की जाए।

52. जहां तक दो निर्णयों अजय राज द्विवेदी (उपरोक्त) और श्रीमती कल्पना करवरिया (उपरोक्त) का संबंध है, न्यायालय ने 14.08.2017 के सरकारी आदेश के नियम 58 और खंड 19(3) पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विचार करने के बाद, जिसमें किसी भी राशि का भुगतान न करने के परिणामों का प्रावधान किया गया है, जिसमें रॉयल्टी भी शामिल है, यह माना गया कि चूंकि ये प्रावधान रॉयल्टी सहित पट्टेदार से देय किसी भी राशि के भुगतान की विफलता की स्थिति में सुरक्षा की जब्ती का प्रावधान नहीं करते हैं, इसलिए, राज्य सरकार प्रतिभूति को जब्त नहीं कर सकती है और नियमावली, 1963 के नियम 58(2) के तहत निर्धारित ब्याज के साथ भू-राजस्व के बकाया के रूप में राशि की वसूली कर सकती है।

53. हालांकि, हमारी राय में, अजय राज द्विवेदी (उपरोक्त) और श्रीमती कल्पना करवरिया (उपरोक्त) के मामलों में नीचे दिए गए कारणों से इस न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी मिसाल नहीं है, और इसलिए, उक्त दो निर्णय याचिकाकर्ता की सहायता में नहीं आते हैं।

54. इस स्तर पर, यह ध्यान रखना उचित है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड और अन्य 1991 (4) एस.सी.सी. 139 के मामले में प्रस्तर संख्या-40 से 42 में निम्नानुसार माना है: -

"40. 'इंक्यूरिया' का शाब्दिक अर्थ है 'लापरवाही'। व्यवहार में प्रति इंक्यूरियम का मतलब प्रति अज्ञानता प्रतीत होता है। अंग्रेजी अदालतों ने इस सिद्धांत को घूरने के निर्णय के नियम में छूट में विकसित किया है। 'कानून में उद्धृत करने योग्य' से बचा जाता है और अनदेखा किया जाता है यदि इसे 'किसी कानून या अन्य बाध्यकारी प्राधिकरण की अनभिज्ञता में' प्रस्तुत किया जाता है। (यंग बनाम ब्रिस्टल एरोप्लेन कंपनी लिमिटेड (1944) 2 इला० ईआर 293)। इस न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 141 की व्याख्या करते हुए इसे स्वीकार किया गया है, अनुमोदित किया गया है और अपनाया गया है, जो कानून के मामले के रूप में मिसालों के सिद्धांत का प्रतीक है। जैसरी साहू बनाम राजदीवान दुबे ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 83 में, इस न्यायालय ने एक पीठ के समक्ष परस्पर विरोधी निर्णयों को रखने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की ओर इशारा करते हुए हैल्सबरी के इंग्लैंड के कानूनों से एक अंश निकाला, जिसमें अपीलीय अदालत का निर्णय बाध्यकारी नहीं होने पर अपवादों में से एक को शामिल किया गया था।

41. क्या यह सिद्धांत कानून के निष्कर्ष तक विस्तारित और लागू होता है, जिसे न तो उठाया गया था और न ही किसी विचार से पहले किया गया था। दूसरे शब्दों में, क्या ऐसे निष्कर्षों को कानून की घोषणा के रूप में माना जा सकता है? यहां फिर से अंग्रेजी



अदालतों और न्यायविदों ने मिसालों के नियम का अपवाद बनाया है। इसे उप-मौन के नियम के रूप में समझाया गया है। "एक निर्णय उप-साइलेंटियो से गुजरता है, तकनीकी अर्थों में जो उस वाक्यांश से जुड़ा हुआ है, जब निर्णय में शामिल कानून के विशेष बिंदु को अदालत द्वारा नहीं माना जाता है या उसके दिमाग में पेश नहीं किया जाता है। (न्यायशास्त्र पर सैल्मंड 12वां संस्करण, पृष्ठ 153)। लैंकेस्टर मोटर कंपनी (लंदन) लिमिटेड बनाम ब्रेमिथ लिमिटेड (1941) 2 ऑल ईआर 11 में, न्यायालय ने पहले के फैसले से बाध्य महसूस नहीं किया क्योंकि यह 'बिना किसी तर्क के, नियम के महत्वपूर्ण शब्दों के संदर्भ के बिना और प्राधिकरण के किसी भी उद्धरण के बिना' प्रदान किया गया था। इसे इस न्यायालय द्वारा दिल्ली नगर निगम बनाम गुरनाम कौर (1989) 1 एस.सी.सी. 101 में अनुमोदित किया गया था। पीठ ने कहा कि, 'पूर्व-मौन और बिना तर्क के कोई क्षण नहीं है'। इस प्रकार अदालतों ने अन्यायपूर्ण उदाहरणों द्वारा किए गए अन्याय से राहत के लिए इस सिद्धांत का सहारा लिया है। एक निर्णय जो व्यक्त नहीं किया गया है और कारणों पर आधारित नहीं है और न ही यह मुद्दे पर विचार करने पर आगे बढ़ता है, उसे एक बाध्यकारी प्रभाव के लिए घोषित कानून नहीं माना जा सकता है जैसा कि अनुच्छेद 141 द्वारा माना गया है। एकरूपता और निरंतरता न्यायिक अनुशासन के मूल हैं। लेकिन जो बिना किसी अवसर के निर्णय में बच जाता है वह अनुपात का निर्णय नहीं है। **बी. शमा राव बनाम पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 1480** में यह कहा गया था, 'यह कहना अटपटा है कि कोई निर्णय उसके निष्कर्षों के कारण बाध्यकारी नहीं है, बल्कि उसके अनुपात और उसमें निर्धारित सिद्धांतों के संबंध में बाध्यकारी है'। बिना किसी विचार के आवेदन के या बिना किसी कारण के पहले आई कोई भी घोषणा या निष्कर्ष को कानून की घोषणा या एक सामान्य प्रकृति के अधिकार के रूप में एक मिसाल के रूप में बाध्यकारी नहीं माना जा सकता है। असहमति या असहमति में संयम स्थिरता और एकरूपता के लिए है, लेकिन उचित सीमा से परे कठोरता कानून के विकास के लिए प्रतिकूल है।

42. अप्रत्यक्ष रूप से निष्कर्ष का समर्थन करने का प्रयास किया गया था, यह आग्रह करके कि राज्य ने समीक्षा याचिका के माध्यम से समान आपत्तियां उठाई थीं और इसे खारिज कर दिया गया था, यह निष्कर्ष के लिए कारण प्रदान करने के रूप में निहित था।



घोषित कानून वह नहीं है जिसे समाप्त किया जा सकता है, बल्कि वह है जिसे कानून के रूप में कहा गया है और उसे स्वीकार किया जाना चाहिए और लागू किया जाना चाहिए। कानून के प्रासंगिक प्रावधान के संदर्भ के बिना एक निष्कर्ष आकस्मिक अवलोकन से भी कमजोर है। ब्रदर थॉमेन के आदेश में, संविधान पीठ के निर्णय के उद्धरण को विस्तार में उद्धृत किया गया है कि बिक्री और खरीद कर की वैधता का प्रश्न न तो मुद्दे में था और न ही इसे उठाया गया था और न ही निर्णय में कोई चर्चा हुई है, सिवाय इसके कि अटॉर्नी जनरल द्वारा निम्नलिखित प्रभाव के लिए प्रस्तुत किए गए आवारा तर्क को छोड़कर: (एस.सी.सी. पी. 139, और 43)

"लेकिन शराब जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, वह विलासिता नहीं है और इस तरह राज्य विधानसभाओं के पास अटॉर्नी जनरल के अनुसार, ऐसी शराब पर कर लगाने की कोई शक्ति नहीं होगी।

प्रविष्टि 54 के तहत बिक्री कर या खरीद कर माल की बिक्री या खरीद पर लगाया जाता है। यह विलासिता और आवश्यकता के बीच किसी भी अंतर पर विचार नहीं करता है। प्रविष्टि 62 के तहत विलासिता अलग से कर योग्य हैं। लेकिन इसका प्रविष्टि 54 से कोई लेना-देना नहीं है। इस सबमिशन को किसने प्रेरित किया यह स्पष्ट नहीं है। विधायी प्रविष्टि के तहत न तो कोई अवसर था और न ही कोई संवैधानिक निषेध या वैधानिक प्रतिबंध है और न ही कर लगाने का कानून कर लगाने के लिए विलासिता और आवश्यकताओं के बीच कोई अंतर करता है। किसी भी मामले में, पीठ ने इसकी जांच नहीं की और न ही इसके आधार पर अपने निष्कर्ष निकाले। किसी भी चर्चा या किसी तर्क के अभाव में आदेश तथ्य की गलती पर आधारित था और इसलिए, इसे कानून घोषित नहीं माना जा सकता था। पीठ को आगे होचस्ट केमिकल्स बनाम संविधान पीठ के पहले के फैसलों से अवगत नहीं कराया गया था। बिहार राज्य और गंगा चीनी मिल बनाम बिहार चीनी मिल के मामले में मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य जो विशेष रूप से किसी भी उद्योग के संबंध में बिक्री कर लगाने की विधायी क्षमता से संबंधित है जिसे सार्वजनिक महत्व का घोषित किया गया था। इसलिए, संविधान पीठ द्वारा कानून का निष्कर्ष कि औद्योगिक शराब पर अत्यधिक सम्मान के साथ कोई बिक्री या खरीद कर



नहीं लगाया जा सकता है, दोनों अपवादों में गिर गया, अर्थात् उप-साइलेंटियो का नियम और प्रति इंक्यूरियम में होना, मिसालों के बाध्यकारी प्राधिकरण के लिए।

55. ए-वन ग्रेनाइट बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2001(3) एस.सी.सी. 537 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निर्णय बाध्यकारी मिसाल नहीं है। उक्त निर्णय का प्रस्तर संख्या-11 और 12 यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"11. इस प्रश्न पर लैंकेस्टर मोटर कंपनी (लंदन) लिमिटेड बनाम ब्रेमिथ लिमिटेड, (1941)1 केबी 675 में अपील न्यायालय द्वारा विचार किया गया था, और यह निर्धारित किया गया था कि जब प्रश्न पर कोई विचार नहीं किया गया था, तो निर्णय को बाध्यकारी नहीं कहा जा सकता है और मिसाल उप-मौन और तर्कों के बिना कोई क्षण नहीं है। उक्त निर्णय के बाद, यह न्यायालय नगर निगम के मामले में है। **दिल्ली बनाम गुरनाम कौर (1989)1 एस.सी.सी. 101** में न्यायालय ने इस प्रकार अवलोकन किया: (एस.सी.सी. पी. 111, प्रस्तर-12)

"12. **जेरार्ड बनाम पेरिस लिमिटेड के मूल्य (1936) 2 ईआर 905 (सीए)**, में एकमात्र बिंदु का तर्क दावेदार के ऋण की प्राथमिकता के सवाल पर था, और, इस तर्क पर सुनवाई की जा रही है, अदालत ने आदेश दिया. इस सवाल पर कोई विचार नहीं किया गया कि क्या परिसमापक के नाम पर खड़े खाते पर गार्निशी ऑर्डर ठीक से किया जा सकता है। इसलिए, जब लैंकेस्टर मोटर कंपनी (लंदन) लिमिटेड बनाम ब्रेमिथ लिमिटेड में अपील की अदालत के समक्ष बाद के मामले में इस बिंदु पर बहस की गई थी, तो अदालत ने खुद को अपने पिछले फैसले से बाध्य नहीं ठहराया। सर विल्फ्रिड ग्रीन, एमआर ने कहा कि वह यह सोचने में मदद नहीं कर सकते थे कि अब उठाए गए बिंदु को जानबूझकर अधिवक्ता द्वारा उप मौन पारित किया गया था ताकि सार के बिंदु पर निर्णय लिया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि आदेश देने से पहले इस बिंदु पर पहले की अदालत द्वारा निर्णय लिया जाना था; फिर भी, चूंकि यह 'तर्क के बिना, नियम के महत्वपूर्ण शब्दों के संदर्भ के बिना, और अधिकार के किसी भी उद्धरण के बिना' निर्णय लिया गया था, यह बाध्यकारी नहीं था और इसका पालन नहीं किया जाएगा। मिसालें उप मौन और बिना तर्क के कोई क्षण नहीं हैं। तब से इस नियम का पालन किया जा रहा है।



12. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड ने उसी दृष्टिकोण को दोहराते हुए, इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि इस तरह के निर्णय को बाध्यकारी प्रभाव के लिए घोषित कानून नहीं माना जा सकता है जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 द्वारा माना गया है और इस प्रकार देखा गया है: (एस.सी.सी. पी.163, प्रस्तर-41)

"एक निर्णय जो व्यक्त नहीं किया गया है और कारणों पर आधारित नहीं है और न ही यह मुद्दे पर विचार करने पर आगे बढ़ता है, उसे बाध्यकारी प्रभाव के लिए घोषित कानून नहीं माना जा सकता है जैसा कि अनुच्छेद 141 द्वारा माना गया है।"

56. हम सम्मानपूर्वक देख सकते हैं कि दो मामलों यानी अजय राज द्विवेदी (उपरोक्त) और श्रीमती कल्पना करवरिया (उपरोक्त) का निर्णय करते समय, मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था कि यदि एम.एम.डी.आर. अधिनियम या नियमावली, 1963 या 14.08.2017 के सरकारी आदेश के अनुसार रॉयल्टी की किस्त राशि का भुगतान न करने की स्थिति में आंशिक या पूर्ण रूप से सुरक्षा की जब्ती पर रोक नहीं लगाता है नियत तारीख को विक्रय विलेख में निबंधन और शर्तें विक्रय विलेख के किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में विक्रय विलेख में आंशिक या पूर्ण रूप से प्रतिभूति की जब्ती की शर्त को शामिल करना कानून में इस कारण से गलत है कि राज्य को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम अथवा नियम, 1963 अथवा दिनांक 14.08.2017 के शासनादेश के अंतर्गत सुरक्षा राशि के समपहरण का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

57. वर्तमान प्रकरण में एक अन्य प्रश्न भी उत्पन्न होता है कि क्या एक बार याचिकाकर्ता द्वारा जानबूझकर एवं स्वेच्छा से प्रतिवादी-राज्य के साथ पंजीकृत पट्टा विलेख निष्पादित कर उसमें उक्त शर्त को सम्मिलित करते हुए उसे स्वीकार कर लेने के पश्चात, वह उससे विमुख हो सकता है अथवा पट्टा विलेख में सुरक्षा राशि के समपहरण संबंधी शर्त को चुनौती दे सकता है।

58. याचिकाकर्ता पट्टा विलेख के निष्पादन पर विवाद नहीं करता है और न ही रिट याचिका में याचिकाकर्ता का मामला है कि याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से पट्टा विलेख के भाग-3 की सामान्य शर्त संख्या-1 को स्वीकार नहीं किया था, जिसमें सुरक्षा को जब्त करने का प्रावधान किया गया था।

59. जवाबी हलफनामे में प्रतिपक्षी का विशिष्ट मामला यह है कि याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से साइट का दौरा किया और इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि याचिकाकर्ता को पट्टा समझौते के तहत खुदाई करने वाली मात्रा साइट पर उपलब्ध थी, स्वेच्छा से एक अनुबंध में प्रवेश किया और पट्टा विलेख निष्पादित किया। इस संबंध में, जवाबी हलफनामे के प्रस्तर संख्या-5 से 12 को यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है: -

"5. दिनांक 16.11.2017 के विज्ञापन में, विशिष्ट शर्त थी कि ई-टेंडर-सह-ई-नीलामी कार्यवाही में भाग लेने से पहले, बोलीदाता स्वयं खनन क्षेत्र की अनुमानित मात्रा की उपलब्धता के बारे में खनन क्षेत्र का निरीक्षण करता है और खनन क्षेत्र के लिए पहुंच मार्ग का निरीक्षण करता है। ई-निविदा-सह-ई-नीलामी कार्यवाही में भाग लेने के बाद, खनिज की उपलब्धता के बारे में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रासंगिक शर्त यहां नीचे उद्धृत की जा रही है:

" 22 - शर्तें-

(1) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व बोलीदाता क्षेत्र में अनुमानित उपखनिज की मात्रा तथा खनन स्थल तक पहुँच मार्ग आदि के संबंध में स्थल का निरीक्षण कर स्वयं संतुष्ट हो लें। ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के पश्चात इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।"

6. कि विज्ञापन के नियमों और शर्तों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने खनिज और संपर्क मार्ग की अनुमानित मात्रा की उपलब्धता के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद, ई-टेंडर-सह-ई-नीलामी कार्यवाही में भाग लिया और 1122/- रुपये प्रति घन मीटर की बोली प्रस्तुत की।

7. चूंकि याचिकाकर्ता की बोली सबसे अधिक थी, इसलिए, इसे स्वीकार कर लिया गया और एक आशय पत्र (एल.ओ.आई.) दिनांक 27.01.2018 (रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या-7) को जारी किया गया।

8. कि याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश लघु खनिज (रियायत) नियमावली, 1963 (इसके बाद "नियमावली, 1963" के रूप में संदर्भित) के नियम 34 के अनुसार विशेषज्ञ के माध्यम से खनन योजना का मसौदा तैयार किया है और इसे निदेशक, भूविज्ञान और खनन उत्तर प्रदेश के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया है।



9. खनन योजना का मसौदा तैयार करते समय, याचिकाकर्ता और उसके विशेषज्ञ, जिन्हें याचिकाकर्ता ने खनन योजना का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा है, ने फिर से क्षेत्र का निरीक्षण किया है क्योंकि खनन योजना के मसौदे में खनन क्षेत्र में खनिज की उपलब्धता और खनन की विधि और खनन को बंद करने के संबंध में पूरे विवरण का उल्लेख याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं किया गया है।

10. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत खनन योजना को 09.12.2018 को अनुमोदित किया गया था।

11. यह कि याचिकाकर्ता द्वारा राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन समिति (एस.ई.आई.ए.सी.) के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रस्ताव का प्रारूप भी तैयार कराया गया था, जिससे वह भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.) द्वारा दिनांक 14.09.2006 तथा 15.01.2016 को जारी अधिसूचनाओं के अनुसार राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) से पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र (पर्यावरणीय स्वीकृति) प्राप्त कर सके। याचिकाकर्ता को उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्रमाण-पत्र दिनांक 31.03.2018 को प्रदान किया गया।

12. इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने खनन पट्टे के निष्पादन से पहले तीन बार क्षेत्र का निरीक्षण किया था। सबसे पहले, विज्ञापन में उल्लिखित विशिष्ट शर्त के अनुसार ई-निविदा-सह-ई-नीलामी कार्यवाही में भाग लेने से पहले। दूसरे, खनन योजना का मसौदा तैयार करते समय और तीसरी बार पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र के लिए मसौदा प्रस्ताव तैयार करते समय। याचिकाकर्ता ने जानबूझकर रिट याचिका के साथ खनन योजना और पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया।

60. ई-निविदा नोटिस का खंड-22, जिसे ऊपर निकाले गए जवाबी हलफनामे के प्रस्तर-5 में पुनः प्रस्तुत किया गया है, बोलीदाता पर पट्टे वाले क्षेत्र का निरीक्षण करने और खनिज और पहुंच मार्ग की अनुमानित मात्रा की उपलब्धता के बारे में खुद को संतुष्ट करने का दायित्व डालता है। याचिकाकर्ता ने खानों की अनुमानित मात्रा की उपलब्धता के बारे में संतुष्ट होने के बाद स्वेच्छा से अनुबंध में प्रवेश किया और पट्टा विलेख निष्पादित किया।

61. याचिकाकर्ता ने जवाबी हलफनामे के प्रस्तर-4 में जवाबी हलफनामे के प्रस्तर-5 और 6 का जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने जवाबी हलफनामे के प्रस्तर-5 और 6 में किए गए विशिष्ट कथनों का खंडन नहीं किया था। याचिकाकर्ता ने जवाबी हलफनामे के प्रस्तर-5 में जवाबी हलफनामे के



प्रस्तर-7 से 11 का जवाब दिया है। वह जवाबी हलफनामे के प्रस्तर-7 से 11 में निहित कथनों पर विवाद नहीं करता है और कहता है कि उन प्रस्तर में किए गए कथन अभिलेखों का मामला है। याचिकाकर्ता द्वारा जवाबी हलफनामे के प्रस्तर संख्या-12 का जवाब दिया गया है, लेकिन जवाबी हलफनामे के प्रस्तर संख्या-12 में निहित विशिष्ट कथनों को याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्युत्तर हलफनामे के प्रस्तर संख्या-6 में अस्वीकार नहीं किया गया है।

62. याचिकाकर्ता ने प्रत्युत्तर हलफनामे के प्रस्तर-6 में कहा है कि खनन पट्टे को रद्द करते समय, याचिकाकर्ता की सुरक्षा राशि को जब्त नहीं किया जा सकता है, जिसका विज्ञापन की स्थिति या खनन योजना से कोई संबंध नहीं है।

63. उपरोक्त तथ्यों से, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता विज्ञापन में ई-टेंडर नोटिस-सह-ई-नीलामी कार्यवाही की शर्त संख्या-22 से अच्छी तरह वाकिफ था कि याचिकाकर्ता को साइट पर खनिज की मात्रा की उपलब्धता के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए और संपर्क मार्ग के बारे में भी संतुष्ट होना चाहिए। याचिकाकर्ता इस तथ्य से भी अच्छी तरह वाकिफ था कि ई-टेंडर-सह-ई-नीलामी कार्यवाही में भाग लेने के बाद, याचिकाकर्ता को खनिज की अनुपलब्धता या पहुंच मार्ग में किसी भी दोष के संबंध में कोई शिकायत उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, ई-टेंडर की यह शर्त याचिकाकर्ता के लिए बाध्यकारी है। प्रतिपक्षी द्वारा ऊपर निकाले गए प्रस्तर में जवाबी हलफनामे में बताए गए विस्तृत तथ्यों में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने खनन पट्टे के निष्पादन से पहले तीन बार क्षेत्र का निरीक्षण किया था और खुली आंखों से एक अनुबंध में प्रवेश किया था, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि अनुबंध के निष्पादन के बाद, वह खनिज की मात्रा की अनुपलब्धता के संबंध में कोई शिकायत नहीं उठा सकता है, याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्युत्तर हलफनामे में स्पष्ट रूप से इनकार नहीं किया गया है।

64. चूंकि, विज्ञापन की शर्त संख्या-22 याचिकाकर्ता के लिए बाध्यकारी है, इसलिए, याचिकाकर्ता के लिए यह दलील देने के लिए खुला नहीं है कि बरसात के मौसम के बाद जब वह 01.10.2018 के बाद खनन कार्य शुरू करने के लिए साइट का दौरा करता था, तो उसने पाया कि तीसरी किस्त का भुगतान करने के अपने दायित्व से इनकार करने के लिए खनन क्षेत्र पानी से डूबा हुआ था।

65. याचिकाकर्ता ने रिट-सी संख्या-12041 वर्ष 2020 में पारित मेसर्स गौरी शंकर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है। उक्त निर्णय के प्रस्तर संख्या-10 से 12 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है: -

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"10. श्री अमित उपाध्याय, अधिवक्ता और स्थायी अधिवक्ता श्री अनुभव चंद्रा की सहायता से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकेश प्रसाद को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि आक्षेपित आदेशों को कानून की नजर में कायम नहीं रखा जा सकता है; याचिकाकर्ता को 03.04.2018 से शुरू होने वाली और 02.03.2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए 03.04.2018 को पट्टा दिया गया था। याचिकाकर्ता ने 03.04.2018 को काम शुरू किया था और मानसून के मौसम के कारण 30.06.2018 को काम बंद कर दिया था। जब उन्होंने 01.10.2018 को काम शुरू किया, तो उन्होंने पाया कि नदी के जलमग्न होने के कारण खनन क्षेत्र में शायद ही कोई रेत उपलब्ध थी और इसलिए, उन्होंने 24.10.2018 को जिला मजिस्ट्रेट को अपनी शिकायत की सूचना दी, जिन्होंने अपनी बारी में 03.12.2018 को क्षेत्र के निरीक्षण का आदेश दिया था। निश्चित रूप से जब जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 03.12.2018 को रिपोर्ट मांगी गई थी तो उन्हें रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी और उन्हें 16.01.2019 को जल्दबाजी में नोटिस जारी नहीं करना चाहिए था और उसके बाद 01.02.2019 को पट्टा रद्द नहीं करना चाहिए था। हमने यह भी दायर किया कि रिपोर्ट वास्तव में 25.02.2019 को प्रस्तुत की गई थी, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट ने पहले ही इसकी प्रतीक्षा किए बिना, 1.2.2019 को जल्दबाजी में आदेश पारित कर दिया था।

11. फिर भी हम पाते हैं कि उत्तर प्रदेश लघु खनिज (रियायत) नियमावली, 1963 के नियम 58 के तहत 16.1.2019 को नोटिस जारी करने के बाद, जिला मजिस्ट्रेट को 30 दिनों की अवधि तक इंतजार करना चाहिए था और उसके बाद, पट्टा रद्द कर देना चाहिए था। ऐसा न करने के बाद, हम पाते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर ने निश्चित रूप से जल्दबाजी में काम किया। उन्होंने रिपोर्ट की प्रतीक्षा नहीं की क्योंकि उन्होंने दिनांक 03.12.2018 के अपने आदेश द्वारा रिपोर्ट की मांग की थी और नोटिस जारी होने के बाद 30 दिनों की वैधानिक अवधि की प्रतीक्षा भी नहीं की। इसके अलावा, हम पाते हैं कि अपीलीय न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय, जिसे 25.2.2019 की रिपोर्ट पर विचार करना चाहिए था, ने इस पर विचार नहीं किया और अपील और पुनरीक्षण को गलत तरीके से खारिज कर दिया। हम पाते हैं कि रिट याचिका में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 11.01.2021 के अनुसार रिट-सी संख्या-17258 वर्ष 2020 (विपुल त्यागी बनाम उत्तर



प्रदेश राज्य) है। और 6 अन्य) रॉयल्टी केवल उस अवधि के लिए प्रभार्य थी जिसके लिए याचिकाकर्ता द्वारा खनिजों को हटा दिया गया था।

12. ऐसी परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर का दिनांक 01.02.2019 का आदेश, अपीलीय न्यायालय का दिनांक 15.11.2019 का आदेश और पुनरीक्षण न्यायालय का दिनांक 03.03.2020 का आदेश निरस्त किया जाता है। परिणामी वसूली प्रमाण पत्र दिनांक 20.03.2020 को भी रद्द कर दिया जाता है और रद्द किया जाता है।

66. मेसर्स गौरी शंकर सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय तथ्यों पर अलग है, इसलिए, यह निर्णय याचिकाकर्ता के लिए कोई मदद नहीं करता है। उक्त मामले में, याचिकाकर्ता (गौरी शंकर) द्वारा खनन क्षेत्र में रेत की अनुपलब्धता के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट को मामले की सूचना देने के बाद, जिला मजिस्ट्रेट ने 03.12.2018 को क्षेत्र के निरीक्षण का आदेश दिया, और उन्होंने रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना नियमावली 1963 के नियम 58(1) में प्रदान की गई 30 दिनों की वैधानिक अवधि की समाप्ति से पहले पट्टा विलेख को रद्द कर दिया। इस मामले में, याचिकाकर्ता ने विक्रय विलेख की समाप्ति की वैधता को चुनौती नहीं दी है। मेसर्स गौरी शंकर सिंह (उपरोक्त) के मामले में प्रतिभूति की जब्ती की वैधता का मुद्दा भी न्यायालय के समक्ष नहीं था, जबकि प्रस्तुत मामले में, याचिकाकर्ता ने सुरक्षा राशि की जब्ती की वैधता को चुनौती दी है, इसलिए, इस कारण से भी, मेसर्स गौरी शंकर सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय याचिकाकर्ता की सहायता के लिए नहीं आता है।

67. इस मुद्दे की सहायता करने के लिए कि क्या याचिकाकर्ता अनुबंध में निर्धारित शर्त से बाहर निकलने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग कर सकता है, इस संबंध में कानून को दर्शाने वाले नीचे उल्लिखित सर्वोच्च न्यायालय के कुछ फैसलों पर इस न्यायालय द्वारा विचार करने की आवश्यकता है।

68. उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम नारायण प्रसाद और अन्य, ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 1493 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय को इस सवाल पर विचार करने के लिए कहा गया था कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार को एक पक्ष द्वारा अनुबंध में निर्धारित शर्त से बाहर निकलने के लिए अनुबंध के लिए लागू किया जा सकता है कि अनुबंध में उक्त उपक्रम कानून में लागू करने योग्य नहीं है। निर्णय के प्रस्तर संख्या-2 में सर्वोच्च न्यायालय ने वह प्रश्न तैयार किया जिसे यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"2. उड़ीसा सरकार के साथ स्वेच्छा से अनुबंध करने के बाद, हर महीने शराब की एक विशेष मात्रा उठाने और महीने की पांचवीं और पंद्रहवीं तारीख को दो समान किस्तों में मासिक उत्पाद शुल्क का भुगतान करने का वचन देने के बाद, प्रतिपक्षी-लाइसेंसधारियों ने दोनों मामलों में चूक की और जब उनसे उत्पाद शुल्क की राशि वसूल करने की मांग की जाती है, वे पलट गए हैं और तर्क दे रहे हैं कि अनुबंध में उक्त उपक्रम कानून में लागू करने योग्य नहीं है। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग किया। उच्च न्यायालय ने उनकी दलील को सही ठहराया है। इसलिए, उड़ीसा राज्य द्वारा ये अपील की गई हैं।

69. उक्त मामले में, उड़ीसा उत्पाद शुल्क अनन्य विशेषाधिकार नियम, 1970 के नियम 6-ए में प्रावधान किया गया है कि अनुज्ञप्तिधारक को हर महीने शराब की एमजीक्यू (न्यूनतम गारंटी मात्रा) उठाने का कार्य करना होगा। शराब के एमजीक्यू को उठाने और नियमों के खंड (3) के तहत महीने के लिए देय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए अनुज्ञप्तिधारक का दायित्व दो अलग-अलग दायित्व हैं। जबकि एमजीक्यू उठाने की बाध्यता महीने के अंत से पहले निर्वहन की जानी थी, महीने के लिए उत्पाद शुल्क को जमा करने की बाध्यता को दो समान किस्तों में निर्वहन किया जाना है; महीने की पांचवीं और दूसरी किस्त की पंद्रहवीं तक पहली किस्त दी जाएगी। निर्दिष्ट तरीके से उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं करने के परिणाम खंड (3) और (4) में निर्धारित किए गए हैं जो उक्त दायित्व को अनिवार्य और सशक्त बनाते हैं।

70. नियम यह भी स्पष्ट करता है कि यदि किसी दिए गए महीने में, पूर्ण एमजीक्यू नहीं उठाया जाता है, तो कलेक्टर अगले महीने में घाटे को उठाने की अनुमति दे सकता है, लेकिन इसका निर्दिष्ट तिथि पर महीने के लिए उत्पाद शुल्क को भेजने के दायित्व से कोई लेना-देना नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जिसकी बोली या निविदा स्वीकार कर ली गई है, उसे निर्धारित प्रपत्र में एक समझौता/अनुबंध निष्पादित करना आवश्यक है।

71. इस करार के तहत, ठेकेदार/अनुज्ञप्तिधारक लाइसेंस में निर्धारित देशी स्पिरिट (शराब) के खुदरा विक्रेता से संबंधित नियमों और शर्तों के साथ-साथ लाइसेंस की सामान्य शर्तों का पालन करने के लिए सहमत है। उक्त शर्त को समझौते के हिस्से के रूप में माना जाएगा। करार का खंड (2) ठेकेदार को विनिर्दिष्ट गोदाम से हर माह एक विशेष मात्रा में शराब निकालने के लिए बाध्य करता है। खंड (3) के तहत, ठेकेदार स्टॉक उठाने से पहले गोदाम में निर्धारित दर पर शुल्क का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भुगतान करने का वचन देता है। यह शर्त प्रदान करती है कि उत्पाद शुल्क उठाने से पहले भुगतान किया जाएगा; यह नहीं कहता है कि इसे उठाने के समय प्रेषित किया जाएगा। संविदा के खंड (7) के अंतर्गत ठेकेदार/अनुज्ञप्तिधारक अधिनियम के सभी उपबंधों और समय-समय पर जारी किए जाने वाले नियमों और अनुदेशों का पालन करने के लिए सहमत होता है।

72. प्रतिपक्षी ने उत्पाद शुल्क की समान किस्त के भुगतान में चूक की और जब उनसे उत्पाद शुल्क की उक्त राशि वसूलने की मांग की गई, तो उन्होंने पलट दिया और तर्क दिया कि अनुबंध में उक्त उपक्रम इस बहाने से कानून में लागू करने योग्य नहीं है कि अर्क की अउठाई गई मात्रा पर उत्पाद शुल्क के भुगतान की मांग शुल्क लगाने के बराबर है और इस तरह की लेवी अधिनियम द्वारा वारंट नहीं है। यह तर्क दिया गया था कि नियम 6ए(3) सरकार की नियम बनाने की शक्ति के बाहर है।

73. यह तर्क दिया गया था कि यदि शराब की बिक्री होती है, तो बेची गई शराब पर शुल्क एकत्र किया जा सकता है, लेकिन बिक्री के अभाव में भी शुल्क एकत्र करने की मांग अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत शुल्क लगाने के बराबर है।

74. उड़ीसा राज्य ने उपरोक्त तर्क पर विवाद किया और तर्क दिया कि प्रतिपक्षी ने देशी शराब की बिक्री के लिए एक समझौता किया है और कुछ शर्तों पर एक विशेष विशेषाधिकार प्रदान किया गया है, अब अनुबंध में प्रवेश करने के बाद अनुबंध दायित्व से बाहर नहीं निकल सकता है और तर्क दे सकता है कि एमजीक्यू की कमी के लिए मांगी गई राशि वैध है।

75. सर्वोच्च न्यायालय ने उड़ीसा राज्य द्वारा दायर की गई अपील के लिए विशेष अनुमति की अनुमति दी और उक्त निर्णय के प्रस्तर-35 में निम्नानुसार अवधारित किया:

"35. अंत में, हम हर शंकर (ए.आई.आर. 1975 एस.सी. 1121) और जगेराम (ए.आई.आर. 1980 एस.सी. 2018) में होल्डिंग का भी आह्वान कर सकते हैं कि रिट याचिकाकर्ताओं ने, स्वेच्छा से समझौते किए हैं, जिसमें उपरोक्त शर्तें शामिल हैं और उनके द्वारा प्राप्त लाइसेंस के तहत व्यवसाय करने के बाद, उन्हें या तो समझौतों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और न ही उन्हें उन नियमों की वैधता को चुनौती देने की अनुमति दी जा सकती है जो अनुबंध की शर्तों का गठन करते हैं। उच्च न्यायालय को ऐसे



लाइसेंसधारियों की सहायता के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए था।

76. वेंकटरमन कृष्णमूर्ति और अन्य बनाम लोढ़ा क्राउन बिल्डमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, 2024(4) एस.सी.सी. 230 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने उन सिद्धांतों को निर्धारित किया है जिनके आधार पर अनुबंध के नियमों और शर्तों की व्याख्या की जानी चाहिए। उक्त निर्णय के प्रस्तर संख्या-21 और 22 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है: -

"21. इस संदर्भ में, हम में संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया था कि बीमा अनुबंध से संबंधित दस्तावेजों की व्याख्या करते समय न्यायालय का दायित्व उन शब्दों की व्याख्या करना है जिनमें पक्षकारों ने अनुबंध को अभिव्यक्त किया है, क्योंकि यदि पक्षकारों ने स्वयं कोई अनुबंध नहीं किया है, तो न्यायालय के लिए, चाहे वह कितना भी युक्तिसंगत क्यों न प्रतीत हो, नया अनुबंध निर्मित करना अनुमेय नहीं है। तत्पश्चात, मैं इस न्यायालय ने पुनः यह प्रतिपादित किया कि अनुबंध, दो या दो से अधिक पक्षकारों के मध्य हुए समझौते की उपज होने के कारण, उसमें प्रयुक्त शब्दों को उनका वास्तविक अर्थ प्रदान करते हुए ही व्याख्यायित किया जाना चाहिए, तथा यदि पक्षकारों ने स्वयं ऐसा अनुबंध नहीं किया है, तो न्यायालय के लिए, चाहे वह कितना भी युक्तिसंगत क्यों न हो, नया अनुबंध निर्मित करना स्वीकार्य नहीं है।

22. हाल ही में, श्री अंबिका मेडिकल स्टोर्स बनाम सूरत पीपुल्स कॉप बैंक लिमिटेड में, यह देखा गया था कि, अपनी व्याख्यात्मक प्रक्रिया के माध्यम से, अदालत पक्षगण के बीच एक नया अनुबंध फिर से नहीं लिख सकती है या बना सकती है और पक्षगण के बीच सहमति के अनुसार समझौते के नियमों और शर्तों को लागू करना है। फिर से, जीएआर वरोरा एनर्जी लिमिटेड बनाम सीईआरसी में, यह देखा गया कि अदालतें पक्षगण द्वारा वाणिज्यिक शर्तों की अनुमानित समझ के बारे में अपने स्वयं के दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती हैं, यदि शर्तें स्पष्ट रूप से व्यक्त की जाती हैं। यह माना गया कि एक अनुबंध की स्पष्ट शर्तें हमेशा पक्षगण के इरादे के संबंध में अंतिम शब्द होती हैं।

77. विक्रय विलेख के भाग- II के प्रस्तर-1 में एक तालिका है जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी के लिए किस्त की तारीख का उल्लेख किया गया है। नियमावली, 1963 के नियम 29 के अनुसार विक्रय विलेख को फॉर्म एम.एम.-6 में निष्पादित किया गया है। रॉयल्टी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के लिए किस्त के भुगतान के लिए एक विशेष तिथि निर्धारित करने वाली जमा की अनुसूची के संबंध में तालिका का समावेश पट्टा विलेख का हिस्सा है, जिस पर याचिकाकर्ता स्वेच्छा से खुली आंखों से विक्रय विलेख निष्पादित करते समय सहमत हुआ था। इस प्रकार, विक्रय विलेख के तहत, याचिकाकर्ता पर रॉयल्टी की किस्त का भुगतान करने की देयता उक्त तालिका में उल्लिखित तारीख है जिसे याचिकाकर्ता स्वेच्छा से सहमत हुआ है, और इसलिए, विक्रय विलेख के भाग- II के खंड-1 में विस्तृत जमा की अनुसूची उस समझौते के नियम और शर्तें हैं जिसके द्वारा याचिकाकर्ता बाध्य है, और निर्धारित तिथि पर रॉयल्टी के लिए किस्त का भुगतान न करने का कोई भी उल्लंघन पट्टा विलेख के नियमों और शर्तों का उल्लंघन होगा, इसलिए, याचिकाकर्ता यह नहीं कह सकता है कि विक्रय विलेख में उल्लिखित जमा की अनुसूची विक्रय विलेख के नियमों और शर्तों का हिस्सा नहीं है, इसलिए, एक निश्चित तिथि पर किसी भी किस्त का भुगतान न करने को विक्रय विलेख की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।

78. पट्टा विलेख में सुरक्षा राशि के आंशिक अथवा पूर्ण समपहरण का प्रावधान किया गया है, जो पट्टा विलेख की नियमों एवं शर्तों का अभिन्न अंग है, और जब तक याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित नहीं करता है कि ऐसी स्थिति अविवेकपूर्ण है या न्यायालय की चेतना या सार्वजनिक नीति के खिलाफ है, तब तक याचिकाकर्ता जानबूझकर और स्वेच्छा से उक्त शर्त से सहमत होने के बाद उक्त शर्त से बाहर नहीं निकल सकता है, यह तर्क देते हुए कि किसी विशेष तिथि पर किस्त का भुगतान न करना विक्रय विलेख में विक्रय विलेख का उल्लंघन नहीं होता है और न ही वह यह तर्क दे सकता है कि प्रतिपक्षी-राज्य के पास प्रतिभूति को जब्त करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि नियमावली, 1963 के नियम 58 या 14.08.2017 के सरकारी आदेश के खंड-19(3) राज्य सरकार को सुरक्षा जब्त करने की शक्ति प्रदान नहीं करते हैं।

79. कानून तय हो गया है कि अदालतें पक्षगण द्वारा वाणिज्यिक शर्तों की अनुमानित समझ के अपने स्वयं के दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती हैं, यदि शर्तें स्पष्ट रूप से व्यक्त की जाती हैं। अनुबंध के स्पष्ट शब्द हमेशा पक्षगण के इरादे के संबंध में अंतिम शब्द होते हैं। इसलिए, प्रतिपक्षी-राज्य को उस सुरक्षा को जब्त करने से इनकार करना या रोकना जो पट्टे की किसी भी शर्त के उल्लंघन या किसी भी नियम वर्ष 1963 के उल्लंघन के मामले में पट्टा विलेख के तहत अनुमत है, एक अनुबंध की व्याख्या करते समय न्यायालय के पास शक्ति नहीं है।



80. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क कि यदि रॉयल्टी की किस्त नियत तारीख पर भुगतान नहीं की जाती है, तो इसे भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है, इस कारण से गलत माना जा सकता है कि भू-राजस्व के बकाया के रूप में रॉयल्टी की वसूली नियत तारीख को किस्त का भुगतान न करने का परिणाम है जो पट्टा विलेख के भाग- II के खंड (3) से स्पष्ट है, जबकि सुरक्षा की जब्ती विक्रय विलेख के भाग- III के खंड (1) के अनुसार विक्रय विलेख की किसी भी शर्त के उल्लंघन का परिणाम जिसे याचिकाकर्ता द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार किया गया है। इसलिए, विक्रय विलेख की शर्त के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, प्रतिपक्षी सुरक्षा जब्त करने के अपने अधिकारों के भीतर हैं।

81. जहां तक नियमावली, 1963 के नियम 59 का संबंध है, वही कुछ शर्तों के उल्लंघन के परिणामों से संबंधित है, जिनके अस्तित्व पर नियम 59 के तहत पट्टा विलेख की शर्त का उल्लंघन करने के लिए उक्त प्रावधान में प्रदान किया गया जुर्माना लगाया जा सकता है और पट्टेदार की सुरक्षा से भी वसूल किया जा सकता है। न तो नियमावली, 1963 का नियम 58 और न ही 14.08.2017 के सरकारी आदेश का खंड 19(3) और न ही नियमावली, 1963 का नियम 59 या एम.एम.डी.आर. अधिनियम या नियमावली, 1963 में कोई भी प्रावधान विक्रय विलेख में एक शर्त को शामिल करने से रोकता है कि विक्रय विलेख के किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, आंशिक या पूर्ण रूप से सुरक्षा जब्त की जा सकती है।

82. विक्रय विलेख में प्रतिभूति की जब्ती की शर्त की शर्त फॉर्म एम.एम.-6 'खनन के लिए नीलामी पट्टे का मॉडल फॉर्म' में इसकी उत्पत्ति पाती है, जिसमें नियमावली, 1963 के नियम 29(1) के अनुसार पट्टा विलेख निष्पादित किया जाना है। नियमावली, 1963 के नियम 29 और फॉर्म एम.एम.-6 'खनन के लिए नीलामी पट्टे का मॉडल फॉर्म' यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"29. पट्टा विलेख का निष्पादन- (1) सफल बोलीदाता/निविदाकर्ता संबंधित ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी का आशय पत्र प्राप्त करने के बाद उत्पादन करेगा; अनुमोदित खनन योजना और स्वच्छ पर्यावरण प्रमाण पत्र नियम के अनुसार निर्धारित किया गया है, और उसी से संबंधित एक पट्टा विलेख फॉर्म एम.एम.-6 या बोली के समान प्रारूप में निष्पादित किया जाएगा। उक्त निष्पादित विक्रय विलेख का पंजीकरण तीन महीने की अवधि के भीतर पंजीकृत किया जाएगा। पट्टे की अवधि की गणना संबंधित विक्रय विलेख के निष्पादन की तारीख से की जाएगी। यदि पट्टा धारक की ओर से गलती के कारण उक्त



निष्पादित विक्रय विलेख का पंजीकरण तीन माह के भीतर पंजीकृत नहीं होता है तो उक्त विक्रय विलेख को अमान्य माना जाएगा और प्रतिभूति की राशि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

(2) [छोड़ा गया]।

(3) पट्टा विलेख की एक प्रति क्षेत्र के मानचित्र के साथ जिला अधिकारी या समिति, यथास्थिति, निदेशक, भूविज्ञान और खनन, उत्तर प्रदेश को उसके निष्पादन की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर भेजी जाएगी।

फॉर्म एम.एम.-6

खनन के लिए नीलामी पट्टे का मॉडल रूप

[नियम 29 देखें]

इस गिरमिटिया ने इसे बनाया ... का दिन..... 20.... उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (इसके बाद "राज्य सरकार" के रूप में संदर्भित) के बीच जो अभिव्यक्ति जहां संदर्भ स्वीकार करता है, एक भाग के उत्तराधिकारियों और समनुदेशनों को शामिल करने के लिए समझा जाएगा।

जब पट्टेदार एक व्यक्ति होता है

.....

जब पट्टेदार एक से अधिक व्यक्ति हों

.....

जब पट्टेदार एक रजिस्टर फर्म है

.....

जब पट्टेदार पंजीकृत कंपनी हो

.....

और पट्टेदार/पट्टेदारों ने इसके द्वारा राज्य सरकार और राज्य सरकार के साथ अनुबंध/अनुबंध किए हैं, जैसा कि उक्त नियमों में व्यक्त किया गया है।

और यह इसके द्वारा पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत है जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग III में व्यक्त किया गया है।

(ऊपर उल्लिखित अनुसूची)

भाग I

इस पट्टे का क्षेत्रफल



पट्टे का स्थान और क्षेत्र

.....

भाग II

इस पट्टे द्वारा आरक्षित रॉयल्टी

रॉयल्टी की राशि और भुगतान का तरीका

(1) पट्टेदार/पट्टेदार इस पट्टे के निर्वाह के दौरान सभी के संबंध में नीचे उल्लिखित राज्य सरकार को रॉयल्टी का भुगतान करेंगे..... क्षेत्र पट्टे से उनके द्वारा निकाला गया:

किस्तों की संख्या	कुल धनराशि	जिस तारीख को किस्त का भुगतान किया जाना है
1	2	3

रॉयल्टी कटौती आदि से मुक्त होना चाहिए।

(2) इस भाग में उल्लिखित रॉयल्टी की किस्तों का भुगतान राज्य सरकार को किसी भी कटौती से मुक्त किया जाएगा.....सरकारी कोषागार में जमा करके, जिला अधिकारी को आपूर्ति किए जा रहे चालान की एक प्रति।

यदि रॉयल्टी का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है तो कार्रवाई का कारण

(3) यदि इन उपहारों के निबंधन एवं शर्तों के अधीन राज्य सरकार को देय रॉयल्टी की किसी किस्त का भुगतान पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो उसे ऐसे अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर वसूला जा सकेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उसी रीति से भू-राजस्व के बकायों के समान ही वसूल किया जा सकेगा।

भाग III

सामान्य प्रावधान

नियमों, अनुबंधों और शर्तों के उल्लंघन पर पट्टे का निर्धारण किया जा सकता है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



(1) यदि पट्टेदार/पट्टेदार किसी लघु खनिज (रियायत) नियमावली, 1963 या इस पट्टे की किसी भी वाचा और शर्तों का उल्लंघन करता है, तो राज्य सरकार पट्टे का निर्धारण कर सकती है और प्रतिभूति जमा का पूरा या आंशिक भाग जब्त कर सकती है, बशर्ते कि पट्टेदार/पट्टेदारों को पट्टे का निर्धारण करने से पहले उल्लंघन की व्याख्या करने का उचित अवसर दिया जाएगा।

पट्टे की समाप्ति पर पट्टेदार अपनी संपत्तियों को हटा देगा

.....

पट्टे के निर्धारण के बाद तीन महीने से अधिक समय तक बची संपत्ति की जब्ती

.....

नोटिस

.....

स्टाम्प शुल्क

.....”

83. चूंकि याचिकाकर्ता और प्रतिपक्षियों के बीच निष्पादित पट्टा विलेख को नियमावली, 1963 के नियम 29(1) के अनुसार फॉर्म एम.एम.-6 में निष्पादित किया जाना है, जिसमें 'खनन के लिए नीलामी पट्टे के मॉडल फॉर्म' के भाग- III के खंड (1) में सुरक्षा की जब्ती का एक खंड शामिल है, इसलिए, पट्टा विलेख की प्रकृति एक वैधानिक पट्टा विलेख है, और विक्रय विलेख में प्रतिभूति की जब्ती के संबंध में शामिल शर्त की जड़ें भी नियमावली, 1963 के नियम 29(1) में हैं, इसलिए, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क कि प्रतिपक्षी राज्य के पास सुरक्षा को जब्त करने का कोई अधिकार या अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि न तो नियम 58 और न ही 14.08.2017 के सरकारी आदेश के खंड-19(3) प्रतिपक्षी राज्य को सुरक्षा जब्त करने की कोई शक्ति प्रदान करता है, गलत है।

84. जहां तक याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने 01.10.2018 के बाद खनिज की खुदाई नहीं की है, इसलिए, यह विक्रय विलेख का उल्लंघन नहीं है और एम.एम.डी.आर. अधिनियम की धारा 15(3) द्वारा संरक्षित है, जो याचिकाकर्ता के अनुसार प्रदान करता है कि याचिकाकर्ता केवल उतनी ही मात्रा में खनिज के लिए रॉयल्टी का भुगतान करने के



लिए उत्तरदायी है जो उसके द्वारा खुदाई की गई है। एम.एम.डी.आर. अधिनियम, 1957 की धारा 15(3) पर एक नज़र डालना उपयोगी होगा जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"15. गौण खनिजों के संबंध में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।

(3). उपधारा (1) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दी गई खनन पट्टे या किसी अन्य खनिज रियायतों का धारक गौण खनिजों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में कुछ समय के लिए निर्धारित दर पर उसके या उसके एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी, ठेकेदार या उप-पट्टेदार द्वारा हटाए गए या उपभोग किए गए गौण खनिज के संबंध में [रॉयल्टी या मृत किराया, जो भी अधिक हो] का भुगतान करेगा:

परन्तु राज्य सरकार [तीन वर्षों] की किसी भी अवधि के दौरान एक से अधिक बार किसी भी गौण खनिज के संबंध में [रॉयल्टी या मृत किराया] की दर में वृद्धि नहीं करेगी।

85. वैधानिक व्याख्या का सामान्य सिद्धांत यह है कि जब कानून में प्रयुक्त शब्द स्पष्ट और प्रकट होते हैं, तो उन्हें किसी भी शब्द को जोड़े या अस्वीकार किए बिना उनका सामान्य अर्थ दिया जाना चाहिए। हालाँकि, इस सामान्य नियम का एक अपवाद है। यदि न्यायालय को पता चलता है कि प्रावधान अस्पष्ट और धुंधले है या सामान्य अर्थ से भ्रम, बेतुकापन या अन्य प्रावधानों के साथ प्रतिकूलता हो सकती है, तो न्यायालय व्याख्यात्मक उपकरणों का उपयोग करके, कानून में शब्दों को जोड़कर या हटाकर या प्रतिस्थापित करके स्थिति को ठीक कर सकता है।

86. इंडिपेंडेंट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम गिरीश श्रीराम जुनेजा और अन्य (2025) 5 एस.सी.सी. 209 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तर संख्या-199 से 201 में निम्नानुसार व्यवस्था दी है: -

"199. टी. एल. वेंकटरामा अय्यर ने तीरथ सिंह बनाम बचितर सिंह (1955) 2 एस.सी.सी. 23 में कहा कि: (एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी., प्रस्तर-5)

".....जहां किसी कानून की भाषा, अपने सामान्य अर्थ और व्याकरणिक निर्माण में, अधिनियमन के स्पष्ट उद्देश्य के स्पष्ट विरोधाभास की ओर ले जाती है, या कुछ असुविधा या बेतुकेपन, कठिनाई या अन्याय की ओर ले जाती है, संभवतः इसका इरादा



नहीं है, उस पर एक निर्माण किया जा सकता है जो शब्दों के अर्थ को संशोधित करता है, और यहां तक कि वाक्य की संरचना भी। ”

व्याख्या के शाब्दिक और उद्देश्यपूर्ण नियम, साथ ही उनके दायरे, दायित्व और सीमाएं, आगे की चर्चा के लिए तैयार की गई हैं। हाथ पर मुद्दों का सही विचार शाब्दिक या उद्देश्यपूर्ण व्याख्या पर मिसालों का उल्लेख नहीं करके प्राप्त किया जाता है। यह स्वयंसिद्ध है कि व्याख्या पर मिसालें कानून, भाषा और मामले के लिए विशिष्ट हैं। न्यायालय, अपने सामने दिए गए मामले में, व्याख्या के संबंधित उपकरणों के पहले सिद्धांतों से चलता है।

200. शाब्दिक व्याख्या एक अनुल्लंघनीय नियम नहीं है। उपरोक्त को संदर्भित निर्णय, शाब्दिक व्याख्या में शामिल सिद्धांत को अंतर्निहित करते हुए, यह निर्धारित किया गया था कि शाब्दिक व्याख्या, यदि यह कठिनाई, असंगति की ओर ले जाती है, तो कानून के कामकाज को हरा देती है, और कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य और उद्देश्य के प्रतिकूल कार्य करती है। एक कानून को इस तरह से समझा जाना चाहिए कि इसे व्यावहारिक बनाया जा सके।

201. कानून का निर्माण करते समय शाब्दिक व्याख्या शुरू करने का एकमात्र उपकरण नहीं है। शाब्दिक व्याख्या पर अक्सर उद्धृत निर्णय तब निर्धारित होते हैं जब उद्देश्यपूर्ण व्याख्या पर विचार किया जाता है और शाब्दिक व्याख्या पर प्राथमिकता दी जाती है। तत्काल अपील में, दोनों व्याख्याओं को विचार के लिए सराहा गया है।

87. पाम गोव्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम मगर गिरमे एंड गायकवाड़ एसोसिएट्स आदि 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1790 के मामले में, शीर्ष न्यायालय ने प्रस्तर संख्या-19.2 में एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के फैसले के प्रस्तर संख्या-21 का उल्लेख किया ताकि यह समझाया जा सके कि कानून के उद्देश्यपूर्ण निर्माण के लिए कानून की व्याख्या के उपकरण कैसे लागू किए जाएं। निर्णय का प्रस्तर संख्या-19.2 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

“19.2 इस मुद्दे पर कानून को इस न्यायालय द्वारा एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में और सारांशित किया गया



था। यह सी.पी.सी. की धारा 89 की व्याख्या से संबंधित मामला था। उसके प्रासंगिक प्रस्तर-21 नीचे निकाले गए हैं:

"21. हालांकि इस सामान्य नियम का एक अपवाद है। जहां वैधानिक प्रावधान में उपयोग किए गए शब्द अस्पष्ट और धुंधले हैं या जहां इसके शब्दों का सादा और सामान्य अर्थ या उसके व्याकरणिक निर्माण से भ्रम, बेतुकापन, अन्य प्रावधानों के साथ प्रतिकूलता पैदा होगी, अदालतें, सादे और व्याकरणिक निर्माण को अपनाने के बजाय, स्थिति को ठीक करने के लिए व्याख्यात्मक उपकरणों का उपयोग कर सकती हैं, कानून में शब्दों को जोड़कर या छोड़कर या प्रतिस्थापित करके। जब एक कानून में स्पष्ट रूप से दोषपूर्ण प्रावधान का सामना करना पड़ता है, तो अदालतें यह मानना पसंद करती हैं कि ड्राफ्ट्समैन ने यह निष्कर्ष निकालने के बजाय गलती की थी कि विधायिका ने जानबूझकर एक बेतुका या तर्कहीन वैधानिक प्रावधान पेश किया है। सादे और सीधे पढ़ने के शाब्दिक नियम से प्रस्थान हालांकि केवल असाधारण मामलों में हो सकता है, जहां विसंगतियां किसी प्रावधान के साथ शाब्दिक अनुपालन को असंभव, या बेतुका या इतना अव्यावहारिक बना देती हैं कि प्रावधान के उद्देश्य को हरा दें। हम बेतुकेपन से बचने के लिए उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का भी उल्लेख कर सकते हैं और तर्कहीनता को मूल प्रावधानों के संदर्भ में प्रक्रियात्मक प्रावधानों के संबंध में अधिक आसानी से और आसानी से नियोजित किया जाता है।

21.1. कानून की व्याख्या पर मैक्सवेल (12वां संस्करण, पृष्ठ 228), "असाधारण निर्माण" से संबंधित अध्याय में "इरादे को पूरा करने के लिए भाषा का संशोधन" शीर्षक के तहत स्थिति को संक्षेप में बताता है:

"जहां एक कानून की भाषा, अपने सामान्य अर्थ और व्याकरणिक निर्माण में, अधिनियमन के स्पष्ट उद्देश्य के स्पष्ट विरोधाभास की ओर ले जाती है, या कुछ असुविधा या बेतुकेपन, कठिनाई या अन्याय की ओर ले जाती है, जिसका शायद ही इरादा किया जा सकता है, उस पर एक निर्माण किया जा सकता है जो शब्दों के अर्थ को संशोधित करता है, और यहां तक कि वाक्य की संरचना भी। यह व्याकरण के नियमों से हटकर, विशेष शब्दों को एक असामान्य अर्थ देकर, या उन्हें पूरी तरह से अस्वीकार करके, इस आधार पर किया जा सकता है कि विधायिका संभवतः अपने शब्दों का अर्थ नहीं लगा



सकती थी, और यह कि किए गए संशोधन केवल लापरवाह भाषा के सुधार हैं और वास्तव में सही अर्थ देते हैं। जहां किसी कानून का मुख्य उद्देश्य और इरादा स्पष्ट है, इसे आवश्यकता के मामले को छोड़कर, या उपयोग की जाने वाली भाषा की पूर्ण असाध्यता को छोड़कर, ड्राफ्ट्समैन की अकुशलता या कानून की अज्ञानता से इसे शून्य नहीं किया जाना चाहिए।

तीरथ सिंह बनाम बचितर सिंह, [(1955) 2 एस.सी.सी. 23: ए.आई.आर. 1955 एस.सी. 830] में इस न्यायालय ने उक्त दृष्टिकोण को मंजूरी दी और अपनाया।

21.2. शामराव वी. परुलेकर बनाम जिला मजिस्ट्रेट, ठाना, [(1952) 2 एस.सी.सी. 1: ए.आई.आर. 1952 एस.सी. 324: 1952 सीआरआई एलजे 1503] में इस न्यायालय ने मैक्सवेल के सिद्धांत को दोहराया: (ए.आई.आर. पी. 327, प्रस्तर-12)

"12 ... यदि एक निर्माण एक बेतुकेपन की ओर ले जाएगा जबकि दूसरा सामान्य ज्ञान को स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि क्या स्पष्ट रूप से इरादा था, तो निर्माण जो अधिनियम के अंत को हरा देगा, उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, भले ही एक ही धारा में उपयोग किए गए एक ही शब्द, और यहां तक कि एक ही वाक्य को अलग तरह से समझा जाना चाहिए। वास्तव में, कानून यहां तक चला जाता है कि अदालतों को कभी-कभी शब्दों के व्याकरणिक और सामान्य अर्थ को संशोधित करने की भी आवश्यकता होती है यदि ऐसा करके बेतुकेपन और असंगति से बचा जा सकता है।

21.3.

21.4.

21.5.

21.6. न्यायमूर्ति जीपी सिंह ने चार शर्तों को निकालते हैं जो अपने ग्रंथ में वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत (12 वें संस्करण, 2010, लेक्सिस नेक्सिस, पृष्ठ 144) में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के निर्णय से कानून के सादे शब्दों से प्रस्थान को सही ठहराने के लिए मौजूद होनी चाहिए। (डब्ल्यूएलआर पी. 237 एफजी)

"... एक अदालत केवल कानून के सादे शब्दों से हटने में उचित होगी जब वह संतुष्ट हो जाए कि: (1) विसंगति का स्पष्ट और सकल संतुलन है; (2) संसद, विधायी प्रवर्तक



और ड्राफ्ट्समैन इस तरह की विसंगति की कल्पना नहीं कर सकते थे, एक पर्यवेक्षण विधायी उद्देश्य के हित में इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो सकते थे; (3) इस तरह के विधायी उद्देश्य के लिए नुकसान के बिना विसंगति को दूर किया जा सकता है; (4) कानून की भाषा विसंगति को दूर करने के लिए आवश्यक संशोधन के प्रति संवेदनशील है।

88. कानून की शाब्दिक व्याख्या पवित्र नियम नहीं है। संदर्भित निर्णय ने शाब्दिक व्याख्या के सिद्धांत पर जोर दिया, लेकिन अगर इस तरह की व्याख्या कठिनाई, असंगति की ओर ले जाती है, कानून के उद्देश्य को हरा देती है, और कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य और वस्तु के प्रतिकूल कार्य करती है, तो इसे कानून बनाने में विधायिका के इरादे पर ध्यान केंद्रित करके उद्देश्यपूर्ण निर्माण दिया जाना चाहिए। यह लचीला दृष्टिकोण अदालतों को बेतुके परिणाम को रोकने और सार्वजनिक भलाई को प्रभावी बनाने के लिए विधायी इरादे पर विचार करने की अनुमति देता है।

89. ब्लैक लॉ डिक्शनरी (5 वां संस्करण) के अनुसार, 'केवल' शब्द का अर्थ किसी विशेष स्थिति में केवल केवल, अनन्य या आवश्यक है, अन्य सभी चीजों के विपरीत जो सत्य, उचित या आवश्यक नहीं हैं।

90. द न्यू इंटरनेशनल वेबस्टर कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी के अनुसार, 'केवल' शब्द का अर्थ केवल है; मात्र; विशेष रूप से: एक बयान को एक परिभाषित व्यक्ति, वस्तु या संख्या-तक सीमित करना।

91. विभिन्न शब्दकोशों में 'केवल' शब्द के दिए गए अर्थ को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि मुख्य स्थायी परामर्शदाता-॥ के तर्क में यह तथ्य है कि यदि विधायिका का इरादा था कि पट्टेदार रॉयल्टी या पट्टे का किराया, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो केवल पट्टेदार द्वारा हटाई गई या उपभोग की गई मात्रा के लिए अधिक हो, विधायिका ने हटाए गए या उपभोग किए गए गौण खनिज के संबंध में शब्दों से पहले 'केवल' शब्द को शामिल किया होगा।

92. यदि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा धारा 15(3) की यह व्याख्या, कि याचिकाकर्ता केवल उसके द्वारा उपभोग की गई खनिज की मात्रा के लिए ही रॉयल्टी के भुगतान हेतु उत्तरदायी है, स्वीकार कर ली जाए, तो इससे असंगत एवं अव्यावहारिक परिणाम उत्पन्न होंगे, क्योंकि ऐसी



स्थिति विधायिका की मंशा कभी नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त, ऐसी व्याख्या नियम, 1963 के अन्य प्रावधानों तथा नियम 29 के अधीन निर्धारित प्रपत्र एम.एम.-6 में निहित पट्टा विलेख की शर्तों एवं नियमों को भी निरर्थक एवं निष्प्रभावी बना देगी।

93. इस न्यायालय की खंडपीठ ने रिट-सी संख्या-28087 वर्ष 2023 में पारित राज प्रताप यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले में निर्णय के प्रस्तर संख्या-38 में माना है कि एम.एम.डी.आर. अधिनियम की धारा 15(3) की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि पट्टेदारों को किशतों का भुगतान नहीं करने के लिए लाभ प्रदान किया जा सके जहां खनिज को हटाया या उपभोग नहीं किया गया है। उक्त निर्णय का प्रस्तर संख्या-38 यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"38. उपरोक्त चर्चा की पृष्ठभूमि में, नीलामी पट्टे के एक मामले में, जो नियम, 2021 के अध्याय IV द्वारा आच्छादित किया गया है, यह कहना कि खनन पट्टे के समर्पण के आवेदन पर विचार करते समय, 'रॉयल्टी' केवल हटाए गए या उपभोग किए गए खनिज की सीमा तक देय होगी, उचित नहीं होगा। निस्संदेह, जहां खनन पट्टे के निबंधन और शर्तों का उल्लंघन होता है, जिस पर पट्टेदार द्वारा तुरंत ध्यान नहीं दिया जाता है, प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी संबंधितों के हित में पट्टे को समाप्त करने के लिए बिना विलंब किए कदम उठाएं। लेकिन जहां अधिनियम, 1957 की धारा 15(1) और (1-ए) के प्रावधानों के तहत बनाए गए नियमों के तहत फॉर्म एम.एम.-6 में या इसी प्रारूप में निष्पादित खनन पट्टा विलेख घन मीटर में सालाना खुदाई किए जाने वाले गौण खनिज की मात्रा और पट्टेदार द्वारा दी जाने वाली उच्चतम बोली, और पहले वर्ष और बाद के वर्षों में देय किशतों की कुल राशि प्रदान करता है, जो अनुबंध के लिए प्रतिफल भी बनाते हैं, तो किशतें पट्टे की शर्तों के तहत देय होंगी। इसलिए, अधिनियम, 1957 की धारा 15(3) के उपबंधों को इस तरह से पढ़ा या व्याख्या नहीं की जा सकती है कि पट्टेदार को उन किशतों का भुगतान न करने के लिए लाभ प्रदान किया जा सके जहां उसके द्वारा कोई खनिज हटाया या उपभोग नहीं किया गया है। इस प्रकार, इस हद तक, विपुल त्यागी में इस न्यायालय का निर्णय जब डीके त्रिवेदी में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में पढ़ा जाता है, तो अधिनियम 1957 के प्रावधान, और अधिनियम



1957 द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत बनाए गए राज्य सरकार के नियमों के आलोक में, एक बाध्यकारी मिसाल के रूप में काम नहीं करेगा।

94. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह अन्य तर्क कि प्रतिवादी केवल तभी सुरक्षा राशि का समपहरण कर सकता है जब नियम, 1963 के नियम 29 में उल्लिखित परिस्थितियाँ विद्यमान हों, भी स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। इसका कारण यह है कि उक्त नियम केवल ऐसी स्थिति में सुरक्षा राशि के समपहरण का प्रावधान करता है, जब पट्टेदार की चूक के कारण पट्टा स्वीकृति पत्र अथवा आशय पत्र (एल.ओ.आई.) जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर पट्टा विलेख निष्पादित न किया जाए, अथवा जैसा भी मामला हो। तथापि, नियम, 1963 का नियम 29 न तो प्रतिवादी-राज्य को सुरक्षा राशि के समपहरण से प्रतिबंधित करता है और न ही पट्टा विलेख की शर्तों एवं नियमों के उल्लंघन की स्थिति में पट्टा विलेख में समपहरण संबंधी उपबंध सम्मिलित किए जाने पर कोई रोक लगाता है। नियम, 1963 के नियम 29 के अधीन पट्टा विलेख प्रपत्र एम.एम.-6 में, जिसे 'खनन हेतु नीलामी पट्टे का आदर्श प्रपत्र' नामित किया गया है, तैयार किया जाता है। उक्त प्रपत्र के भाग-III के अनुच्छेद-1 में समपहरण संबंधी उपबंध निहित है, जिसे ऊपर उद्धृत किया जा चुका है।

95. जहां तक प्रतिपक्षी राज्य द्वारा प्रतिभूति जब्त करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन के संबंध में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के तर्क का संबंध है, हम ध्यान दे सकते हैं कि नियम के साथ-साथ विक्रय विलेख विक्रय विलेख को रद्द करने से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए निर्धारित करता है, न कि प्रतिभूति जब्त करने से पहले। हालांकि, हमारा विचार है कि सुरक्षा जब्त करने से पहले भी, पट्टेदार को इस कारण से नोटिस और सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए कि सुरक्षा की जब्ती पट्टेदार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और नागरिक परिणाम देती है।

96. प्रस्तुत मामले में, हालांकि प्राधिकरण को जब्ती खंड को लागू करने के लिए पट्टा विलेख की किसी भी शर्त के उल्लंघन के संबंध में पट्टेदार के खिलाफ आरोप का खंडन करने के लिए सुरक्षा जब्त करने से पहले याचिकाकर्ता को नोटिस और सुनवाई का अवसर देना चाहिए था। तथापि, हम नीचे दिए गए कारणों से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए मामले को रिमांड पर लेने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

97. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी-राज्य द्वारा उसकी सुरक्षा राशि के समपहरण की कार्यवाही को चुनौती देते हुए समस्त उक्त तर्क एवं आपत्तियाँ प्रस्तुत की हैं; और इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता को उन सभी तर्कों को आगे बढ़ाने के लिए सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया है जो वह सुरक्षा जब्त करने में प्रतिपक्षी की कार्रवाई की वैधता को चुनौती देने वाले प्राधिकरण के समक्ष पेश कर सकता था। इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता की सुरक्षा जब्त करने में प्रतिपक्षी-राज्य की कार्रवाई को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सभी तर्कों पर विचार-विमर्श किया है और उन पर विचार किया है, इसलिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर मामले को प्राधिकरण को सौंपने में कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा क्योंकि इस तरह की कवायद एक खाली औपचारिकता और एक बेकार अभ्यास होगी। इसलिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, हम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर मामले को प्राधिकरण को भेजने के इच्छुक नहीं हैं।

98. जहां तक याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि चूंकि पट्टा विलेख आंशिक या पूर्ण रूप से सुरक्षा की जब्ती को निर्धारित करता है और चूंकि विवेक आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से सुरक्षा को जब्त करने के अधिकार पर निहित है, इसलिए, इस तरह के विवेक को तर्क द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, हम यह जोड़ सकते हैं कि पट्टा विलेख के भाग- III का खंड (1) अनुबंध का एक हिस्सा है और याचिकाकर्ता बाध्य है विक्रय विलेख की ऐसी शर्त से। यदि किसी भी कारण से, याचिकाकर्ता का विचार है कि प्राधिकरण को पूरी सुरक्षा से कम राशि की सुरक्षा जब्त कर लेनी चाहिए थी, तो याचिकाकर्ता के पास नागरिक कानून के तहत उपरोक्त आधार पर नुकसान का दावा करने का एक उपाय है, और यह न्यायालय सुरक्षा की राशि का आकलन करके अनुबंध के नियमों और शर्तों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और न ही प्रतिस्थापित कर सकता है जो प्रतिपक्षी-राज्य समझौते के तहत जब्त कर सकता है।

99. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि तृतीय किस्त में सुरक्षा राशि का समायोजन न करने की प्रतिवादी की कार्यवाही मनमानी है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। उनका कहना है कि अन्य जनपदों में जिलाधिकारी ने नियम, 1963 के नियम 58 के अधीन आदेश पारित करते हुए पट्टा विलेखों को निरस्त कर दिया तथा पट्टेदार द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि का समायोजन पट्टा राशि/रॉयल्टी की देय बकाया राशि के विरुद्ध कर दिया। अतः सुरक्षा राशि के समपहरण की कार्यवाही विधिसंगत नहीं



ठहराई जा सकती और उसे बनाए नहीं रखा जा सकता। इस संबंध में, याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका के प्रस्तर संख्या-32 में आवश्यक कथन किए गए हैं, जिसे यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"32. यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में खनन पट्टे के पट्टेदार द्वारा वार्षिक पट्टा राशि की त्रैमासिक किस्त जमा न करने के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने नियम 58 के तहत आदेश पारित करते समय पट्टा विलेख रद्द कर दिया है और नियम 58 के तहत पट्टा विलेख को रद्द करते समय जिला मजिस्ट्रेटों ने पट्टेदार द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि को समायोजित किया है पट्टा राशि/रॉयल्टी के बकाया में, लेकिन याचिकाकर्ता के मामले में, उसी आधार पर, याचिकाकर्ता के खनन पट्टे को रद्द करके दिनांक 29-12-2018 का आदेश पारित करते समय, जिला मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि को अवैध रूप से जब्त कर लिया है और याचिकाकर्ता के बकाया के खिलाफ इसे समायोजित नहीं किया है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस संबंध में इसी प्रकार के लिए जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद द्वारा पारित दिनांक 04-06-2018 का आदेश और जिला मजिस्ट्रेट, महोबा द्वारा पारित दिनांक 29-12-2018 के तीन आदेश जिसके द्वारा पट्टेदार द्वारा त्रैमासिक पट्टा राशि की किस्तों का जमा न होने के आधार पर पट्टेदार के खनन पट्टे को रद्द करने के लिए नियम 58 के तहत आदेश पारित करते हुए, पट्टेदार द्वारा जमा की गई प्रतिभूति को पट्टेदार को इस याचिका के अनुलग्नक संख्या-13 और 14 के रूप में संलग्न किया जा रहा है।

100. प्रतिपक्षी-राज्य ने जवाबी हलफनामे के प्रस्तर संख्या-43 में रिट याचिका के प्रस्तर संख्या-32 का उत्तर दिया है, जिसे यहां नीचे भी पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"43. रिट याचिका के अनुच्छेद संख्या 32 के कथनों के उत्तर में यह निवेदन किया जाता है कि खनन पट्टे का भाग-3 (रिट याचिका के पृष्ठ 77-78) सामान्य शर्तों एवं अतिरिक्त शर्तों से संबंधित है। सामान्य शर्त संख्या (1) में स्पष्ट रूप से यह उपबंधित है कि उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के किसी नियम अथवा खनन पट्टे की किसी प्रसंविदा (कवेनेंट) एवं शर्त के उल्लंघन की स्थिति में खनन पट्टे का निर्धारण किया जा



सकता है तथा सुरक्षा जमा राशि को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से समपहृत किया जा सकता है।

यह भी निवेदन किया जाता है कि सुरक्षा जमा राशि के समपहरण के संबंध में विशिष्ट शर्त विद्यमान है तथा यदि खनन पट्टे के भाग-3 के खंड-1 के अनुसार पट्टे के निर्धारण का निर्णय लिया गया है, तो सुरक्षा जमा राशि की संपूर्ण धनराशि के समायोजन का कोई प्रावधान नहीं है।

कि जिन जिलों में पूरी सुरक्षा जमा राशि को समायोजित किया गया है, उनके जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया निर्णय उनका अपना विवेक था और खनन पट्टे के नियमों और शर्तों के अनुसार याचिकाकर्ता को इसका लाभ नहीं दिया जा सकता है।

101. यद्यपि रिट याचिका के अनुच्छेद संख्या 32 में याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से उल्लिखित कुछ जनपदों के जिलाधिकारियों ने सुरक्षा जमा राशि का समायोजन किया हो, तथापि इससे याचिकाकर्ता को तृतीय किस्त में सुरक्षा राशि के समायोजन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। इसका कारण यह है कि न तो नियम, 1963 तथा न ही खनन पट्टे के भाग-III के खंड (1) में ऐसा कोई प्रावधान है, जो सुरक्षा राशि को किसी किस्त अथवा याचिकाकर्ता से देय किसी अन्य राशि के विरुद्ध समायोजित किए जाने की अनुमति प्रदान करता हो।

102. यह विधि द्वारा सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का लाभ किसी अवैधता को बनाए रखने अथवा उसे स्थायित्व प्रदान करने के लिए नहीं दिया जा सकता। इस संबंध में, **टिंकू बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3292** के मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसले के प्रस्तर संख्या-9 से 11 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा: -

"9. इसके अलावा, जैसा कि ऊपर कहा गया है, दावे को किसी भी वैधानिक समर्थन के साथ समर्थित नहीं माना जा सकता है। यह अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावा सहित किसी भी दावा को करने के लिए आवश्यक है, जो नियुक्ति के सामान्य नियम का अपवाद है, जिसमें नियमों के अनुसार उचित विज्ञापन और चयन प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता होती है जो एक स्वीकृत मानदंड है। यदि कुछ गलत लाभ प्रदान किया गया है या कुछ लाभ जो योजना के विपरीत है, प्रदान किया गया है, तो यह



दूसरों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के संदर्भ में समानता के अधिकार के रूप में दावा करने का अधिकार नहीं देगा।

10. इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला में उन विधिक सिद्धांतों का स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है जो इस प्रकार के दावों के परीक्षण एवं निर्णय को नियंत्रित करते हैं। ऐसे निर्णयों में विशेष रूप से शांति स्पोर्ट्स क्लब बनाम भारत संघ, चंडीगढ़ प्रशासन बनाम जगजीत सिंह, आर. मुथुकुमार बनाम टैंगेडको तथा बसवराज बनाम विशेष भूमि अर्जन अधिकारी उल्लेखनीय हैं।

11. अनुच्छेद 14 में निहित समानता का विचार कानून पर आधारित सकारात्मकता से ढकी एक अवधारणा है। इसे कानून की पवित्रता वाले दावे को लागू करने के लिए लागू किया जा सकता है। इसलिए, राज्य को किसी व्यक्ति, व्यक्ति या यहां तक कि व्यक्तियों के समूह के पक्ष में की गई किसी भी अवैधता या अनियमितता को बनाए रखने के लिए बाध्य करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है जो लागू नीति या निर्देशों के विपरीत है। इसी तरह, किसी को गलत तरीके से कुछ अधिकार या दावा प्रदान करने वाले अवैध आदेश को पारित करना अदालत के समक्ष पेश किए जाने वाले समान दावे का हकदार नहीं है और न ही अदालत ऐसी याचिका को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगी। अदालत प्राधिकरण को उस अवैधता को बार-बार दोहराने के लिए बाध्य नहीं करेगी। यदि इस तरह के दावों पर विचार किया जाता है और निर्देश जारी किए जाते हैं, तो यह न केवल न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगा, बल्कि इसके लोकाचार को नकार देगा जिसके परिणामस्वरूप कानून अराजकता में परिणत होगा। न्यायालय कानून की अनदेखी नहीं कर सकता है, न ही वह ऐसा अधिकार या दावा प्रदान करने के लिए उसकी अनदेखी कर सकता है जिसके पास कानूनी मंजूरी नहीं है। इक्विटी को बढ़ाया नहीं जा सकता है, और यह भी कानूनी आधार या औचित्य के बिना लाभ या लाभ प्रदान करने के लिए नकारात्मक है।

103. जहां तक सुरक्षा की वापसी के संबंध में नियम 50 वर्ष 1963 का संबंध है, यह बताता है कि खनन पट्टे के निर्धारण के बाद, राज्य सरकार के पास जमा राशि को नियमों में उल्लिखित किसी भी उद्देश्य के लिए लागू करने की आवश्यकता नहीं है, पट्टे के निर्धारण की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर पट्टेदार को आमतौर पर वापस कर दिया जाएगा। उक्त नियम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में प्रतिभूति की वापसी की बात केवल तभी की गई है जब पट्टा विलेख निर्धारित होने के बाद राज्य सरकार के पास जमा राशि का उपयोग नियमों में उल्लिखित किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाना है, उक्त नियम में निर्धारित अवधि के भीतर पट्टेदार को वापस कर दिया जाएगा।

104. प्रस्तुत मामले में, प्रतिपक्षी प्राधिकारी द्वारा पट्टा विलेख के नियमों और शर्तों के उल्लंघन पर प्रतिपक्षी द्वारा सुरक्षा राशि जब्त कर ली गई है, जैसा कि ऊपर अवधारित किया गया है, इसलिए, नियमावली, 1963 का नियम 50 प्रस्तुत मामले में आकर्षित नहीं होता है और न ही नियम 50 बेमानी हो जाएगा क्योंकि इसका आवेदन उन सभी मामलों में होगा जहां पट्टा विलेख निर्धारित किया गया है और पट्टेदार से कोई राशि देय नहीं है प्रतिपक्षी राज्य के नियम, ऐसी स्थिति में, प्रतिपक्षी-राज्य प्रतिपक्षी-राज्य के पास जमा राशि को वापस करने के लिए बाध्य है।

105. निर्णय से अलग होने से पहले, हम यह जोड़ सकते हैं कि याचिकाकर्ता ने तीसरी किस्त की वसूली को चुनौती देने वाला कोई विवाद नहीं उठाया है। याचिकाकर्ता ने तीसरी किस्त में सुरक्षा राशि के समायोजन पर जोर दिया है, जो निर्णय के प्रस्तर संख्या-2 में निकाली गई रिट याचिका की प्रार्थना (ii) से भी स्पष्ट है।

106. ऊपर दिए गए कारणों से, हमारा विचार है कि रिट याचिका में योग्यता का अभाव है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। तदनुसार, रिट याचिका को लागत के रूप में बिना किसी आदेश के खारिज किया जाता है।

दिनांक: 21.01.2026 / सत्यार्थ एनएस

(न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय)

(न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव)